अंक 1
संख्या 9

बृहस्पतिवार
19 दिसम्बर
सन् 1946 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. कार्यक्रम 1

2. लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव 5

भारतीय विधान-परिषद्

बृहस्पतिवार, ता. 19 दिसम्बर सन् 1946 ई.

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में दिन के 11 बजे भारतीय विधान-परिषद् की बैठक हुई।

कार्यक्रम

***सभापति:** कल मैंने सदस्यों से यह कहा था कि आज प्रात:काल परिषद् के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कुछ निश्चय दे सकूंगा। मैं इस विषय पर विचार करता रहा हूं और कुछ सदस्य मुझसे इस सम्बन्ध में मिले भी हैं। जिस कार्य को हमें करना है वह यह है। हमारे सामने यह प्रस्ताव है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। हमें नियम भी स्वीकृत करने हैं। विवादास्पद विषयों की व्याख्या के लिये फेडरल कोर्ट का एक और प्रश्न है, जिस पर परिषद् को अपना मत प्रगट करना है। अन्त में हमें कुछ समितियों का चुनाव करना है, जो नियम के अंतर्गत होंगी। इस प्रकार ये चार बातें हैं, जिनको इस अधिवेशन में घर जाने से पहले हमें पूरा करना है।

नियमों पर लगभग विचार किया जा चुका है और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मैं नियम-कमेटी के सामने उन नियमों को कल प्रात:काल रखने का प्रस्ताव करता हूं और यदि नियम-कमेटी से स्वीकृत होते हैं, तो वे परसों अर्थात् शनिवार को इस परिषद् में उपस्थित किये जायेंगे। यदि सदस्यों की ऐसी इच्छा हो तो फेडरल कोर्ट से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के विषय को हम शनिवार को ले सकते हैं और इसके पश्चात् नियमों को। मेरा विचार है कि यह कार्य लगभग दो दिन लेगा, जो नियमों से आमंत्रित संशोधनों की संख्या पर निर्भर है। इसके पश्चात् हम एक दिन कमेटियां नियुक्त करने के लिये दें। इस प्रकार यदि हम शनिवार, रविवार और सोमवार को कार्य करें और यदि सदस्यों में आत्मनियंत्रण की भावना हो और यथासम्भव कम बोलें और कम समय लें तो सम्भव है कि हम इस कार्य को समाप्त कर सकें। यदि हम सोमवार तक समाप्त न कर सके तो हमें बड़े दिन के पश्चात् कार्य करना होगा अर्थात् इस माह की 25 तारीख के पश्चात् कुछ दिन लेने होंगे। 24, 25 और 26 तारीखों की सार्वजनिक छुट्टियां हैं और हम इन तीन दिनों तक नहीं बैठ सकते हैं। इस प्रकार हम फिर 27 और 28 को तर्क कर सकते हैं 29 तारीख का रविवार है और 30 तारीख को गुरु गोविन्द सिंहजी के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में सिखों की छुट्टी है। अत: यदि

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[सभापति]

रविवार को बैठने और शनिवार और सोमवार को अधिक परिश्रम करने को सदस्य तत्पर नहीं हैं, तो बड़े दिन के पूर्व इस कार्य को समाप्त करने की सम्भावना नहीं है। और मैं दूसरे माह के लिए जो कि दूसरे वर्ष में है, इस कार्य को ले जाना नहीं चाहता। मैं इसी माह में इस कार्य को समाप्त करना चाहता हूं। मैं इसलिये यह सुझाव रखता हूं कि हम इस कार्यक्रम का पालन करें। हम नियमों पर शनिवार को दोपहर बाद तर्क आरम्भ करें और यदि ईसाई सदस्यों को कोई आपत्ति न हो तो हम रविवार को भी बैठें, तब हम सोमवार को समस्त कार्य समाप्त कर सकेंगे। यदि आप 25 तारीख के पश्चात् नहीं बैठना चाहते हैं, तो किसी सीमा तक यह कार्य शीघ्रता से करना होगा; अन्यथा हमें 25 तारीख के पश्चात् तब तक बैठना होगा, जब तक कि कार्य समाप्त न हो। इस विषय में यह कठिनाई है जिसको मैंने सदस्यों के सामने उपस्थित किया है और मैं यह जानना चाहूंगा कि वे किसे पसन्द करते हैं। मैं स्वयं यदि सम्भव हो सके, तो सोमवार तक इस कार्य को समाप्त करना चाहूंगा।

***अनेक माननीय सदस्य:** यही उत्तम है।

***सभापति:** हम यह आशा करें कि सोमवार को हम कार्य समाप्त कर देंगे। सबसे पहले बड़े दिनों के सप्ताह में कार्य करना ईसाइयों के लिये कठिन होगा। मैं आशा करता हूं कि हम शनिवार, रविवार और सोमवार को बैठ सकेंगे और कार्य समाप्त कर सकेंगे, अन्यथा हमें बड़े दिन के सप्ताह में कार्य करना होगा।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी** (बंगाल : जनरल): यह बिलकुल असम्भव है। मैं स्वयं जब तक सदस्य बैठें, बैठने को तैयार हूं, परन्तु 26 तारीख के बाद नहीं।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू** (यू.पी. : जनरल): मैं आप लोगों की सूचना के लिये, जिसमें कि परिषद् का हित है, यह बतलाना चाहता हूं कि युनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली की कमेटियां और जनरल असेम्बली दोनों कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिये रविवार को भी बैठीं।

***सभापति:** आज हम केवल एक बजे तक बैठेंगे, जिससे कि नियम-कमेटी को कार्य करने का पूर्ण अवसर मिले और कल हम बिलकुल ही नहीं बैठेंगे। फिर हम शनिवार को प्रात:काल बैठेंगे। मैं आशा करता हूं कि शुक्रवार के सायंकाल तक सदस्यों को नियम पहुंचाने में मैं समर्थ हो सकूंगा, अन्यथा शनिवार को प्रात:काल तो वे अवश्य ही मिल जायेंगे और प्रात:काल के अधिवेशन में हम फेडरल कोर्ट के प्रश्न को ले लेंगे और दोपहर बाद आप नियमों पर तर्क कर सकते हैं। यह कार्यक्रम अब निश्चित हुआ।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी:** मुझे भय है कि ईसाई सदस्यों को इस विषय में बहुत दु:ख होगा। हम समस्त रविवार को कार्य करने के लिये तत्पर हैं और हम सोमवार को तो कार्य करेंगे ही। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि हम लोग 27 और 28 को बड़े दिन और नए साल के बीच के दिनों में न बैठें। ईसाई सदस्यों को इस समय उपस्थित होना नितान्त असम्भव है। वर्ष में केवल यही समय है जब कि वे अपने परिवार के साथ रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं, जो अत्यन्त आवश्यक है। हम समस्त रात्रि और रविवार को कार्य करने के लिये तत्पर हैं। मैं आपसे निवदेन करूंगा कि 27 तारीख और 1 तारीख के बीच के दिनों में फिर अधिवेशन न हो।

***सभापति:** मैं आशा करता हूं कि हम सोमवार के सायंकाल तक कार्य समाप्त कर सकेंगे।

***श्री एफ.आर. एन्थॉनी:** हमें रात्रि में अधिवेशन करना चाहिए।

***सभापति:** यदि आवश्यक हुआ, तो हम करेंगे।

***श्री किरणशंकर राय** (बंगाल : जनरल): मेरा विचार है कि सदस्यों को नियमावली तर्क करने के दो या तीन दिन पूर्व मिल जानी चाहिये, जिससे कि वे नियमों पर विचार कर सकें। जबकि कमेटी ने नियम बनाने में इतना समय लिया है, तो इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक उन नियमों पर विचार करना वास्तव में अनुचित होगा। यह बड़ी सुखद कल्पना होगी कि जब हम इस प्रस्ताव को तीन या चार दिन में पास न कर सके, तो नियमों को दो या तीन दिन में पास कर सकें। मेरा विचार है कि नियमों को पास करने में कम से कम एक सप्ताह लग जायेगा। मैं इसलिये यह सुझाव पेश करता हूं कि आप नियमों पर विचार करने के लिये काफी समय दें। यह विचार लाभदायक नहीं है कि हम नियमों को दो दिन में समाप्त कर देंगे।

***सभापति:** यह विचार समस्त कार्यक्रम को उथल-पुथल करता है।

***माननीय श्री बी.जी. खेर** (बम्बई : जनरल): क्या मुझे यह निवेदन करने की आज्ञा है कि नियमों को बनाना वकीलों के लिए किसी सीमा तक पारिभाषिक विषय है और 15 व्यक्तियों ने, जिनको नियम बनाने का काफी अनुभव है और जिनके साथ कुशल मंत्री-कार्यालय हैं, नियम बनाये हैं। क्या हम यत्र तत्र शब्दों को लेकर झगड़ा और तर्क करेंगे? मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप एक समय निश्चित करें और कह दें कि सोमवार के पांच बजे तक उन सदस्यों को जिनके कि संशोधन महत्त्वपूर्ण हैं, उपस्थित करने और राय लेने की आज्ञा दी जायेगी और पांच बजे कार्य-नियंत्रण का नियम लागू कर दिया जाये और सात बजे तक सब नियम पास किये जायें और फिर हम दूसरे कार्य को ले लें। दूसरा विकल्प समस्त

[माननीय श्री बी.जी. खेर]

रात्रि बैठने का है। मैं यह सुझाव रखूंगा कि हम रात्रि के 11 बजे तक नियमों को समाप्त करने के लिये प्रतिदिन बैठें। मैं एक और महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण उपस्थित करता हूं, जो केवल ईसाइयों के ही पक्ष में नहीं, वरन् ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कि बहुत दूर से इस अधिवेशन में उपस्थित होने आये हैं और यह विचार कर कि कार्य 23 तारीख को समाप्त हो जायेगा और उनको बड़े दिनों के सप्ताह में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने अन्य कार्यक्रमों को निश्चित कर चुके हैं। मैं नाम नहीं बतलाना चाहता। हम सबके पास समान महत्त्व के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके लिये एक दीर्घ काल के पश्चात् भारतवर्ष में आकर बड़े दिनों के सप्ताह में यहां बैठना जब कि वे अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे, दुष्कर है। हम देर तक रात्रि अथवा दिन में बैठ सकते हैं और सोमवार को तीसरे पहर तक कार्य समाप्त कर सकते हैं।

***सभापतिः** यह सभा की सामान्य भावना प्रतीत होती है।

***डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी** (बंगाल : जनरल): मेरा विचार है कि हम बड़े दिनों के सप्ताह में न बैठें। हमारे पास इस सप्ताह के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो कि सप्ताह ही नहीं बल्कि महीनों पूर्व निश्चित किये जा चुके हैं और यह उचित नहीं है कि हमें अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने के लिये विवश किया जाये। यदि हम अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो बहुत ही उत्तम है, अन्यथा हमें जनवरी में कुछ दिन लेने चाहिये। नियमों को पास करना इतना सरल विषय नहीं होगा। नियमों को सदस्यों की सूचना के लिये उनके पास भेजना चाहिये। सदस्य नियमों के अध्ययन के लिये यथोचित समय चाहेंगे और संशोधन भी पेश करेंगे। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि वह समय काफी है अथवा नहीं, जिसमें कि सदस्यगण अपने संशोधन पेश कर सकें और उन पर तर्क कर सकें। यदि हम सोमवार और मंगलवार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो हमें जनवरी में किसी समय मिलना चाहिये।

***सभापतिः** नियमों पर विचार और दूसरे कार्यक्रम को सोमवार तक समाप्त करने का हम प्रयत्न करेंगे। यदि हम इस कार्य में असफल रहे तब यह विचार करेंगे कि फिर कब बैठें।

नियम-कमेटी में 15 सदस्य हैं जो कि भिन्न-भिन्न दल और मत के प्रतिनिधि हैं। वे समय ले रहे हैं क्योंकि वे ऐसे निश्चय तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो सबके लिये मान्य हो। यही कारण है कि नियम-कमेटी इतना अधिक समय ले रही है। नियम बनाने का कार्य उन मनुष्यों के हाथ में है, जो कि उस कार्य

के विशेषज्ञ हैं और मेरा विचार है कि श्री किरणशंकर राय जिस कठिनाई का अनुमान कर रहे हैं, वह उपस्थित न होगी। यदि कोई तर्क सिद्धांत के प्रश्न पर उपस्थित होता है, तो मैं वाद-विवाद के लिये समय दूंगा; और सदस्यों से यह आशा करूंगा कि केवल शब्दों पर सुझाव उपस्थित करने के विषय को वे कमेटी पर छोड़ दे, जिसने कि इस पर बहुत समय व्यतीत किया है।

अब हम प्रस्ताव पर अग्रसर होंगे। श्री सोमनाथ लाहिरी!

लक्ष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव—*जारी*

***श्री सोमनाथ लाहिरी** (बंगाल : जनरल): श्रीमान् सभापति जी, माननीय डॉक्टर जयकर ने, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नियमों की व्याख्या करने में वृद्ध हो गये हैं, मंत्रि प्रतिनिधिमंडल योजना की सीमा की व्याख्या सम्भवत: ठीक की हो। लेकिन हमें उनसे भयभीत नहीं होना चाहिये। डॉ. जयकर राजाओं की प्रतीक्षा करना चाहते हैं कि वे आवें और हमारी भावी स्वतंत्रता का रूप बिगाड़ दें। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। हम उन नरेशों को, एकतंत्रीय राजाओं को नहीं चाहते हैं कि ये आयें और हमारे भविष्य का रूप बिगाड़ें। हां, जहां तक मुस्लिम लीग का प्रश्न है, वह बिलकुल दूसरे आधार पर है। लेकिन मुझे मुस्लिम लीग के यहां न होने पर खेद नहीं है। मुझे केवल इस बात का खेद है कि कांग्रेस ब्रिटिश योजना से बाहर नहीं जा सकी और ब्रिटिश योजना को अपने स्वार्थ-साधन के लिये अकेला नहीं छोड़ दिया। देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये और अपने देश के लिये वास्तविक स्वतंत्र विधान बनाने के लिय मुस्लिम लीग से समझौता अत्यन्त आवश्यक है। यदि आप यह विचार करते हैं कि मुस्लिम लीग की प्रतीक्षा करने से या कांग्रेस के यहां होने से और मुस्लिम लीग के बाहर रहने से आप ठीक विधान बनाने में समर्थ हो सकेंगे, तो मुझे भय है कि आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने यह योजना बनाई है। अन्त:कालीन सरकार का उदाहरण आपके समक्ष है। लीग और कांग्रेस दोनों वहां हैं, परन्तु इससे देश में झगड़े और परस्पर मारकाट की समस्या हल नहीं हो पाई है। ठीक वैसा ही हुआ है जैसा कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी। उसने चाहा कि पार्टियां एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ें और ब्रिटिश एक पार्टी को दूसरी पार्टी के विरुद्ध सहायता दे, जिसके फलस्वरूप इन लड़ाइयों में ब्रिटिश राज्य और भी अधिक शक्ति से जम जाये।

अंत:कालीन सरकार देश के लिए न तो स्वतंत्रता ला सकी और न शांति। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई विधान-परिषद् में कांग्रेस अथवा लीग न हो, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही हों और जिस प्रकार ब्रिटिश चाहती है उसी प्रकार ब्रिटिश योजना को कार्यान्वित किया जाये, तो वही बातें उत्पन्न

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

होंगी, अर्थात् वही झगड़े जो कि आज देश में हैं, परिषद् में भी और उग्र रूप धारण करेंगे। बस यही और कुछ नहीं। इसीलिये, श्रीमान् जी, मुझे लीग के यहां न होने पर दु:ख नहीं है, बल्कि मुझे केवल यही खेद है कि कांग्रेस इस योजना को अपना स्वार्थ-साधन करने के लिये छोड़ कर इससे बाहर क्यों नहीं हुई? श्रीमान्जी, मैं पं. जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता की प्रवृत्ति के सुन्दर भाव प्रकट करने के लिए बधाई देता हूं, जब कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश का कोई आरोपण स्वीकार न किया जायेगा। आरोपण पर क्रोध प्रकट किया जायेगा और विरोध किया जायेगा और उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हुई, तो हम संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रीमान् जी, यह विचार बहुत सुन्दर हैं, साहसपूर्ण शब्द हैं, सुन्दर शब्द हैं। परन्तु प्रश्न है कि कब और किस प्रकार आप उस चुनौती को प्रयोग में ला रहे हैं। श्रीमान् जी, आरोपण ठीक इस समय है। ब्रिटिश योजना ने केवल भविष्य के लिये विधान ही नहीं बनाया है—बशर्ते कि आप कोई विधान बना सकें—जिसमें मुझे शंका है, यदि आप कुछ बना भी सके, तो वह केवल ब्रिटिश से संतोषजनक संधि पर निर्भर ही न होगा, बल्कि वह यह सुझाता है कि जरा-जरा से मतभेद के लिये हम फेडरल कोर्ट को दौड़ें या इंग्लैंड में उपस्थिति हों या एटली या अन्य किसी के पास जायें। यह केवल सत्य ही नहीं है कि यह विधान-परिषद्, चाहे जो कुछ भी योजना हम बनायें हम ब्रिटिश तोप, ब्रिटिश सेना की छत्र-छाया और उनके आर्थिक और माली पंजे में हैं, बल्कि इसका आशय है कि अन्तिम शासन-शक्ति अब भी ब्रिटिश के हाथ में है और शासन-शक्ति के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, जिसका आशय है कि भविष्य अभी पूर्ण रूप से आपके अधिकार में नहीं है। यही नहीं बल्कि एटली और अन्य व्यक्तियों के अभी हाल के वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि यदि आवश्यकता हुई तो वे पूर्णरूप से विभाजन करने की धमकी भी देंगे। श्रीमान् जी, इसका आशय है कि इस देश में स्वतंत्रता नहीं है। जैसा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने अभी कुछ दिन पूर्व बताया था कि हमें केवल आपस में लड़ाई झगड़े करने की स्वतंत्रता है। यही स्वतंत्रता हमें मिली है, एक और स्वतंत्रता जिसकी मुझे सूचना मिली है आज के आज्ञा-पत्र पर है, जिसके द्वारा पंडित नेहरू अब माननीय पंडित नेहरू हैं और मैं विचार करता हूं कि पंडित नेहरू को इस सम्मान के त्यागने तक की स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिये मैं कहता हूं कि आपके यह विचार करने से कुछ लाभ नहीं है कि ब्रिटिश योजना की सीमाओं से, एक भाग जिसका अन्त:कालीन सरकार है और दूसरा भाग उसका विधान बनाने की विधि है, आप

स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजों की धृष्टता—जैसाकि आपने अभी देखा है और जिसके लिये परिषद् के कई सदस्यों ने अपने भाव प्रकट किये हैं—यह धृष्टता इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है, यह तो देश भक्तों को देखना है। धृष्टता बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें विदित है कि देश के बड़े-बड़े दल, कांग्रेस और लीग यह विचार करते चले आ रहे हैं कि अपने दलों के अधिकार—मेरे दल के अधिकार दूसरे दल के विरुद्ध–प्राप्त करने में मैं अंग्रेजों की मदद पा सकूंगा। वे आपको लड़ते-झगड़ते रहने देना चाहते हैं, केवल इसी फल के लिये कि आपस के झगड़े हों—जैसा कि आज सारे देश में हुआ है और जैसा कि प्रतिदिन हमारी आंखों के सामने हो रहा है—अंग्रेजों के विरुद्ध हमारी शक्ति क्षीण होती है और स्वतंत्रता का अंश मात्र भी हमारे हाथ नहीं लगता। भाई होने के विपरीत हम एक-दूसरे को मारते हैं, मानों हम दुश्मन हैं। मिस्टर अलेक्जेंडर 1946 ई. के इसी मास में लोक सभा House of Commons में यह कहने का साहस करते हैं कि वायसराय की विशेष सत्ताओं के प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं किया है और जो कुछ सत्ता प्राप्य है, वह उसकी सहायता के लिये है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस योजना पर कार्य कर कुछ प्राप्त करने का विषय नहीं है, बल्कि अभी, यहीं, स्वतंत्रता की घोषणा की जाये और अन्तःकालीन सरकार और भारतीय जनता को यह आदेश दिया जाये कि वह पारस्परिक झगड़ों को बन्द करें और अपने बैरियों का विरोध करें, जिसके हाथों में अब भी ब्रिटिश साम्राज्यशाही का अंकुश है—और उस ब्रिटिश साम्राज्यशाही से युद्ध करने को संगठित हों और फिर जब कि स्वतंत्र हो जायें अपने अधिकारों को निश्चित करें। वास्तव में, श्रीमान् जी, हमने अपने देश की स्वतंत्रता के दीर्घकालीन इतिहास से यह प्राप्त किया है कि चाहे हमारे आपसी मतभेद बहुत बड़े चढ़े हों, पर जब हम अंग्रेजों का विरोध करते हैं, तो लड़ाइयों के ही प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, जो व्यक्ति अंग्रेजों से लड़ रहा है उसके मार्ग में कोई रुकावटें नहीं डाली जाती। यह एक मार्ग वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की कठिन परिस्थिति से बचने का है। सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव के उपस्थित करने वाले से भी निवेदन करूंगा कि डॉक्टर जयकर—एक कुशल तार्किक और निर्दयी तार्किक तो वे हैं ही—ने आपके सामने केवल विकल्प उपस्थित किये हैं, जबकि उन्होंने आपके सामने कहा है कि या तो हमें योजना की सीमा में कार्य करना है, या आगे बढ़कर सत्ता अपनाना है, क्रांतिकारी सत्ता अपनाना है। ये विकल्प है और एक वृद्ध, कुशल वैधानिक, उदार व्यक्ति जैसे कि वे हैं, उन्होंने उसे ठीक ही समझा है और क्रांति से डर, जो कि आप लोगों में से भी कुछ को हो, उन्होंने आपको वैधानिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए निवेदन किया है और कहा—''मैं जानता हूं कि कांग्रेस भी क्रांति से सत्ता ग्रहण करना नहीं चाहती।'' भारतीय

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

जनता के सामने आज यही विकल्प है और आज विधान-निर्मात्री-परिषद् के सामने भी यही कि या तो आप ब्रिटिश योजना का अनुसरण करने का प्रयत्न करें, एक दल के अधिकारों को दूसरे दल के विरुद्ध रखें और प्रतिदिन पारस्परिक युद्ध के दलदल में फंसें, जिसके फलस्वरूप कि अन्त में ब्रिटिश आप पर उतना ही शक्तिशाली हो सके, जितना कि पहले था और या आप अग्रसर होकर क्रांति से सत्ता ग्रहण करें। मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले ब्रिटिश को, ब्रिटिश वायसराय को, ब्रिटिश सेना इत्यादि को बाहर खदेड़ने के लिये—जो कि अपनी बन्दूकें अब भी हमारे सरों पर ताने हुये हैं—आगे बढ़ें।

***श्री राजकृष्ण बोस** (उड़ीसा : जनरल): हमें यह जानने का अधिकार है कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थक है या विरोधक? मुझे भय है कि जो कुछ भी वे इस समय कह रहे हैं असंगत है।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** यह तो सभापति के निश्चय करने की बात है। मैं आशा करता हूं कि मैं उस राजनैतिक दल का, जो भारत में तीसरा बड़ा दल है, प्रतिनिधि हूं। *(पीछे की बैंचों से हंसी)* सभापति जी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बिना बाधा बोलने देंगे। हमारे दल को सात लाख वोट मिले हैं.... *(बाधा)* गत जनरल चुनाव में। यह सत्य है कि वह एक बड़ा दल नहीं है, पर वास्तव में वह तीसरा बड़ा दल तो है। *(फिर हंसी)*

***सभापति:** मैं आशा करता हूं कि हाउस वक्ता को बोलने देगा। *(श्री लहिरी से)* लेकिन मैं आपको समय-सीमा की याद दिलाऊंगा और इस बात की भी कि आप उपस्थित विषय की सीमा में रहें।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** हां, श्रीमान् जी, मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि श्रीमान् जी मुझे वहीं सुविधाएं प्रदान करेंगे, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर या अन्य दलों के नेताओं को दी गई हैं। *(पिछली बैंचों से हंसी)*

***सभापति:** यह सत्य है कि मैंने उनके साथ कुछ नर्माई से व्यवहार किया, लेकिन हाउस की उनके सुनने में रुचि थी, अब हाउस की वैसी वृत्ति प्रतीत नहीं होती। मुझे हाउस की वृत्ति का अनुसरण करना है।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** चाहे हाउस जो कुछ मैं कहता हूं, उसे पसन्द करे या नहीं, यह आप पर निर्भर है कि मुझे—एक स्वतंत्र विचारणीय विषय के प्रतिनिधि की हैसियत से—अपने पूर्ण विचार प्रगट करने दें।

***सभापति:** आप कहते चलिये।

***श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी** (यू.पी. : जनरल): श्रीमान् जी, हमें यह विदित होना चाहिये कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, या संशोधन का?

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** और अधिक बाधायें हैं.....

***सभापति:** सदस्यगण अपना-अपना अनुमान लगा लें कि वक्ता प्रस्ताव का समर्थन या विरोध कर रहा है, अथवा कुछ नहीं।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मैं इसे बिलकुल स्पष्ट कर दूंगा। आप जान जायेंगे जब कि मेरे वक्तव्य को सुन लेंगे। श्रीमान् जी, मूल प्रस्ताव के तीसरे पैरा का विचार करने पर मैं समझता हूं कि आप अखंड भारत चाहते हैं। यह इसी इच्छा के कारण है कि आपने स्वायत्तसत्ता (autonomy) और शेष सत्ता (Residuary) के अधिकार तीसरे पैरा में दे दिये हैं, परन्तु भाषा इत्यादि के आधार पर प्रादेशिक इकाइयां बनाने का अधिकार नहीं दिया। मैं भी भारतवर्ष की एकता का उतना ही इच्छुक हूं, जितने कि आप हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या आप उस एकता को बलपूर्वक या दबाव द्वारा ला सकते हैं? मैं बंगाल का हूं। बंगाल की ओर देखिये। बंगाल में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग किसानों का है और उसका एक बड़ा भाग मुसलमानों का, जो ब्रिटिश साम्राज्यशाही और ऊंची जाति के हिन्दुओं के दासत्व के दो पाटों में पीसा जाता है। अब स्वतंत्रता की कल्पना में बंगाल के किसान और बंगाली मुसलमान अगर यह चाहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी और उच्चवर्णीय हिन्दू उनसे अपना स्वार्थ साधन न कर सकें, उनकी भूमि—बंगाली भाषा बोलने वाला प्रदेश—स्वतंत्र और सर्वसत्ता सम्पन्न हो। भारत के किसी भाग के अधिकार में न हो, तो क्या आप उनकी इस स्वतंत्रता को अस्वीकार कर देंगे? आप नहीं कर सकते। और यदि मुस्लिम लीग—मुस्लिम लीग के नेतृत्व में प्रतिक्रियावादी भाग—बंगाली मुसलमानों को स्वतंत्रता की भावना से विमुख कर धार्मिक विभाजन की भावना उत्पन्न करने में या आसामी भाषा-भाषी प्रदेश की मांग करने में सफल होता है, तो मैं यह कहूंगा कि इसका उत्तरदायित्व कांग्रेस के नेतृत्व पर है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने जातीय भाषा के आधार पर जातीयता को पृथक् होने के अधिकार को स्पष्टतया स्वीकार कभी नहीं किया है और प्रधान कांग्रेस की जो कुछ भी स्वीकृति निर्धारित निर्णय (Ruling) में थी कि भारतीय संघ में कोई प्रान्त उसकी इच्छा के विरुद्ध सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा—आपने इस प्रस्ताव में उसको भी अंतिम विदा दे दी। आपने कहा है कि कोई भी प्रदेश भारत से बाहर नहीं रह सकता, चाहे उसकी बाहर रहने की कितनी ही तीव्र अभिलाषा क्यों न हो। अधिक से अधिक वह स्वायत्त शासन और अवशिष्ट सत्ता की आशा कर सकता है। श्रीमान् जी, यह वह मार्ग नहीं है, जिसके द्वारा बंगाल के मुसलमानों को अपनाने की आशा कर सकेंगे। यह वह मार्ग नहीं है, जिससे आप अन्य जातियों

[श्री सोमनाथ लाहिरी]

को जो कि समयानुसार आपके विरोध में खड़ी होंगी, अपनाने की आशा कर सकेंगे।

इस प्रकार आप एक विधान उन पर लादकर भारत की एकता प्राप्त नहीं कर सकते और यदि आप आधुनिक विधान की ओर दृष्टिपात करें, तो आप देखेंगे कि यूगोस्लाविया, चैकोस्लाविया इत्यादि देशों ने आत्म-निर्णय (self-determination) के अधिकार को पृथक् होने के अधिकार के साथ स्वीकार किया है। उदाहरणस्वरूप यूगोस्लाविया के नये विधान की प्रथम धारा और सर्बस (Serbs) क्रोट्स (Croates) स्लोवेनीज (Slovanis) मोन्टेनोग्रिंस (Montenegrins) इत्यादि को आत्म-नियंत्रण और पूर्ण पृथक् होने के अधिकार देती हैं। यही कारण है कि आज यूरोप में यद्यपि यूगोस्लाविया एक छोटा देश है, फिर भी वह सुसंगठित है और तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर है।

मैंने कुछ कांग्रेसियों को यह कहते हुए सुना है कि ''इस आत्म-निर्णय और पृथक्त्व होने के अधिकार को हम दे देंगे, परन्तु बाद में जब कि मुस्लिम लीग उसके लिए विवश करें।'' श्रीमान्जी, क्या यह सौदा करने का दबाव पड़ने पर सौदागर के यहां जाकर जनता के अधिकारों से झगड़ना एक निकृष्ट राजनैतिक अवसरवाद नहीं होगा? क्या यह श्रेयस्कर न होगा कि आप केवल नेताओं के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के लिए—मुस्लिम जनता के लिए—यह स्पष्ट शब्दों में कह दें कि वे अपने-आप विचार और विश्वास रखें और उन्हें भारतीय संघ (Indian Union) में निर्भय आने की गारंटी दी जाये।

दूसरा विषय जिसका मैं जिक्र करूंगा, वह मूल प्रस्ताव के 4, 5 और 6 पैरा हैं। श्रीमान्जी, यहां आपने कुछ मौलिक सिद्धान्त बनाये हैं, जिनके ऊपर कि भारतीय जनता के अधिकार और समानता निर्भर है। ठीक है; शुभ अभिप्राय है। कोई भी इसके शुभ अभिप्राय से इन्कार नहीं करता। परंतु बहुधा शुभ अभिप्राय नरक के मार्ग का अनुसरण कराते हैं। और यहां अभिप्राय से सब कुछ आशय हो सकता है और कुछ भी नहीं। यह सब इस बात पर निर्भर है कि भूत और भविष्य को दृष्टि में रखते हुए आप किस प्रकार उन सिद्धान्तों की व्याख्या करते हैं। आपने कहा है कि राजनियम के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। आपने कहा है कि सम्पूर्ण कानूनी अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिये जायेंगे। इसके साथ-ही-साथ इतिहास आपको बताता है कि इस देश में लोकप्रिय मंत्रिमंडल हैं, कांग्रेस के मंत्रिमंडल हैं और फिर भी आप बम्बई में देखते हैं कि मनुष्यों को देश निकाला होता है, स्त्रियों को भी न्यायालय में उपस्थित किये बिना ही गुंडों के सदृश देश निकाला होता है। साथ-ही-साथ आप यू.पी. में देखते हैं कि एक राज-नियम बनाया जा

रहा है, जिसके द्वारा बिना मुकदमा (trial) किये हवालात (Detention) हो सकती है। साथ-ही-साथ बंगाल में आप देखते हैं कि जातीयता के नाम पर कानून बनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक समाचार-पत्र और व्यक्ति की स्वाधीनता का अपहरण करता है। और अब श्रीमान्‌जी, जनता अपने विगत अनुभव के प्रकाश में आपके प्रस्ताव को देखेगी और यदि इन बातों को, जैसा कि आप वास्तव में चाहते हैं, वैसा ही रूप देना है, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसके प्रति आपको और भी अधिक स्पष्ट होना चाहिए और साफ कह देना चाहिए। इसी प्रकार दलित वर्ग के प्रति आपने कहा है कि पर्याप्त संरक्षण दिया जायेगा। यह अच्छा है, परंतु कौन यह निश्चय करने को है और कब यह निश्चय किया जायेगा कि संरक्षण पर्याप्त हैं अथवा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक पृथक्‌त्व की, जो कि आज देश में प्रचलित है, निन्दा करता है, परंतु आपने अपने इस प्रस्ताव में जनता के लिए और जनता की अभिलाषा के लिए क्या राजनैतिक व्यवस्था की है?

***एक माननीय सदस्यः** आप क्या सुझाव पेश करते हैं?

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** मैं किसी भी भविष्य में होने वाले चुनाव में वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सुझाव पेश करता हूं, जिससे कि प्रत्येक दल को, चाहे वह साम्प्रदायिक हो अथवा राजनैतिक अपना प्रतिनिधित्व वोटों की कुल संख्या के आधार पर प्राप्त करने का विश्वास होगा और तब दलों को, मुस्लिम लीग और (शिड्यूल कास्ट फैडरेशन) दलित-जाति संघ जैसे साम्प्रदायिक दलों को अपना-अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का विश्वास हो जाने पर कोई भी शिकायत नहीं हो सकेगी। इसके साथ-साथ यह राजनैतिक दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार हम शनैः शनैः उस धार्मिक पृथक्‌त्व का, जो कि देश में उत्पन्न हो चुका है नाश कर देंगे और उचित राजनीति में, राजनैतिक विभाग और राजनैतिक संघर्षों के आधार पर प्रगति होगी। परन्तु आपने इस विषय को स्पष्ट नहीं किया है। मैं आशा करता हूं कि जब आप विधान का मौलिक निर्माण करेंगे तब आप इसको स्पष्ट करेंगे। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि जनता आपका निर्णय आपके अतीत को देखकर करेगी—आपके उस निकटकालीन अतीत से—जिसके लिए मुझे खेद है कि कांग्रेस के अच्छे कार्यक्रम और घोर संघर्ष के होते हुए भी अपने सिद्धान्त के अनुरूप नहीं है। मुझे आशा है कि जब आप भारतवर्ष का भावी विधान बना रहे होंगे, इन बातों का प्रतिकार हो जायेगा।

***श्री एच.वी. कामत** (सी.पी. और बरार : जनरल): श्रीमान्‌जी, मैं निवेदन करता हूं कि श्रीयुत लहिरीजी को, जब कि वे अपने संशोधन पर बोल रहे थे, आपने नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया था। अब क्या वे वैसा ही करने में नियमानुकूल हैं?

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मुझे अपने तर्क को सिद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। खैर, मैं लगभग समाप्त कर चुका हूं और एक या दो मिनट और लूंगा। इस प्रस्ताव की व्यापकता और अच्छी बातें, जो इसमें हैं इसके अतिरिक्त मैं यह पसन्द करता कि आप यहां अभी हमारी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते। प्रत्येक भारतीय पहले परिच्छेद को स्वीकार करेगा कि भारत को एक स्वतंत्र सर्वशक्तिसम्पन्न राज्य होना चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त आपका प्रस्ताव राजनैतिक दृष्टिकोण से एक दबाव (Pressure) डालने वाला प्रस्ताव है। यह ब्रिटिश से कहता है–''देखो, यदि आप यह विचार करते हैं कि हम जो कुछ भी आदेश करेंगे उसको सुनेंगे, तो आप भीषण भूल करते हैं। हम अपना खुद का विधान भारत पर लागू करने को हैं।'' ठीक, यदि आप चाहते हैं, तो इसे और भी अधिक शक्तिशाली बनायें, परन्तु प्रस्ताव का दूसरा भाग मुस्लिम लीग के विरुद्ध है। ''देखिये यदि आप यह सोचते हैं कि विभाजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप त्रुटि करते हैं। हम अखंड भारत के लिए एक विधान लागू करना चाहते हैं और उसमें विभाजन के लिए स्थान नहीं है।'' यह मुस्लिम लीग के विरुद्ध दबाव है। ''मैं यह नहीं ख्याल करता हूं कि दूसरा दबाव पहले दबाव को बढ़ाने में आपकी मदद करता है।'' जितना अधिक दबाव हम अपने भाइयों के विरुद्ध डालते हैं, उतना ही अधिक हम मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हैं और उतना ही अधिक जो कुछ हम चाहते हैं, उसे देने के लिए ब्रिटिश अस्वीकार करते हैं। आप अपना दबाव ब्रिटिश के विरुद्ध जितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइये, परन्तु इस दबाव को अपने भाइयों के विरुद्ध न बढ़ाइये। श्रीमान्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समय के जादू की बाबत कहा है। हां जादू, लेकिन यह ब्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है, जो कि देशभक्तों को गहरी नींद में सुला देता है। यह ब्रिटिश जादूगरनी का वह जादू है कि जिसके खूनी पंजे से अगणित शहीदों के खून की बूंदें टपक रही हैं और फिर भी वह देशभक्तों के हृदय में यह विचार उत्पन्न करने में समर्थ है कि उसके जादू के षड्यंत्र (Plan) को कार्यान्वित करने से ही वह (देशभक्त) दूसरे दल के विरुद्ध अपने अधिकार प्राप्त कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक कांग्रेस देशभक्त इसे स्मरण रखेगा और इस संघर्ष में जादूगरनी के षड्यंत्र के विरुद्ध और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के विरुद्ध न कि मुसलमानों के विरुद्ध, संघर्ष करने में अग्रसर होगा।

***श्रीमती हंसा मेहता** (बम्बई : जनरल): पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इतनी योग्यता से उपस्थित किये गये इस ऐतिहासिक प्रस्ताव का समर्थन करने में मैं अपना गौरव समझती हूं। डॉ. जयकर द्वारा उपस्थित किये हुए वाद-हेतु (Issue) का उल्लेख

करना मैं नहीं चाहती हूं और छः हजार मील की दूरी पर वक्ताओं द्वारा किए हुए वक्तव्यों पर, जिनका आशय उत्पात से है, या जो वास्तविक दशा से बिलकुल अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं इस प्रस्ताव के भाग पर एक नई टिप्पणी उपस्थित करना चाहती हूं—वह मौलिक अधिकार जो कि जनता के एक भाग यानी स्त्रियों पर अपना प्रभाव डालता है।

यह अनेक स्त्रियों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करेगा कि स्वतंत्र भारत का आशय केवल स्थिति की समानता से ही नहीं, वरन् अवसर की समानता से भी होगा। यह सत्य है कि कुछ थोड़ी-सी स्त्रियां अतीत काल में और आज भी उच्च स्थिति का आनन्द उपभोग कर रही हैं और हमारी सहेली श्रीमती सरोजनी नायडू के सदृश उस उच्च मान को प्राप्त हुई हैं, जो कि शायद ही किसी पुरुष को मिल सकता हो। परन्तु ऐसी स्त्रियां बहुत कम और यत्र-तत्र हैं। यह केवल सांकेतिक उदाहरण ही हो सकता है, क्योंकि इन स्त्रियों से देश की स्त्रियों की वास्तविक स्थिति का परिचय नहीं मिलता।

इस देश की सामान्य स्त्री शताब्दियों से उस पुरुष-समाज के राजनियम, व्यवहार और रीति-रिवाज द्वारा लादी हुई असमानताओं से पीड़ित है जो कि सभ्यता के उच्च शिखर से, जिसका कि हम सबको गौरव था, पतित हो गया है, जिसकी प्रशंसा में डॉक्टर सर राधाकृष्णन सदैव कहते रहे हैं। आज ऐसी हजारों स्त्रियां हैं, जिनको साधारण मानवी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनको परदे के अन्दर घर की चहारदीवारी में बन्द रखा जाता है। वे स्वतंत्रतापूर्वक घर से बाहर भी नहीं जा सकती हैं। भारतीय स्त्री-जाति की दशा इस शोचनीय अवस्था तक गिराई जा चुकी है कि इन परिस्थितियों में जो भी उनका शोषण करना चाहते हैं, उनकी वह सरल आखेट बन जाती हैं। स्त्रियों का पतन कर पुरुष ने अपना ही पतन किया है। स्त्री की उन्नति करने में पुरुष केवल अपनी ही उन्नति नहीं करता, वरन् समस्त जाति की उन्नति करता है। इस हाउस में महात्मा गांधी का उल्लेख किया गया है। यह मेरी कृतघ्नता होगी, यदि मैं जो कुछ भी महात्मा गांधी ने उन (स्त्रियों) के लिए किया, उस कृतज्ञता के अतुल ऋण को स्वीकार न करूं, जो कि भारत की देवियों के नाम अंकित है। ये सब होने पर भी हमने कभी विशेष अधिकार नहीं मांगे हैं। स्त्रियों के संघ ने, जिसके सदस्य होने का मुझे गौरव है, कभी भी संरक्षित स्थान (Reserved Seats) अपना आनुपातिक भाग (Quota) या पृथक् निर्वाचन (Separate electorate) की मांग नहीं की है। जो कुछ भी हमने मांगा है, वह सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय है। हमने केवल उस समानता की मांग की है, जो कि पारस्परिक सम्मान और समझौते का आधार हो सकती है और जिसके बिना पुरुष और स्त्री में वास्तविक सहयोग

[श्रीमती हंसा मेहता]

संभव नहीं है। इस देश की आधी जनसंख्या स्त्रियों की है, इस कारण बिना उसके सहयोग के पुरुष अधिक अग्रसर नहीं हो सकता। यह प्राचीन भूमि आधुनिक जगत् में बिना स्त्रियों के सहयोग के अपना उचित और आदरणीय स्थान नहीं प्राप्त कर सकती। इस कारण मैं इस प्रस्ताव का, उस विशाल प्रतिज्ञा के लिए जो इसके अंतर्गत है, स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस प्रस्ताव में जिन उद्देश्यों का समावेश है, वे पत्र पर अंकित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें क्रियात्मक रूप दिया जायेगा। *(करतल ध्वनि)*

***श्री पी.आर. ठाकुर** (बंगाल : जनरल): श्रीमान् सभापति जी, श्रीयुत डॉ. अम्बेडकर ने पिछली बार दलित वर्गों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस कारण भारतवर्ष की परिगणित जातियों की ओर से विधान-परिषद् के सदस्यों के सन्मुख बोलने के इस अवसर को मैं अपना गौरव समझता हूं। मैं यहां पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के समर्थन के लिए उपस्थित होता हूं। समस्त प्रस्ताव का विश्लेषण करने और उस पर पूर्ण रूप से विचार करने पर मुझे यह विदित होता है कि भारत की जनता के हृदय में स्वतंत्रता की आशाओं को प्रसारित करने वाला यह सबसे उत्तम अधिकार-पत्र है। मेरे कुछ मित्रों ने, जो कि मुझसे पूर्व बोल चुके हैं, इसमें कुछ त्रुटियां बतलाई हैं। तो भी जिस रूप में प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है, वह कई समस्याओं को जो कि विधान बनाने के पूर्व हल होनी चाहिए, सुलझाने में सहायक होगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे मार्ग में अनेकों रुकावटें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें उन्हें पार करना है। यदि हम संसार के प्रजातंत्र राष्ट्रों के पूर्व इतिहास की ओर दृष्टि डालें, तो हमें विदित होगा कि प्रत्येक विधान-परिषद् को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कभी-कभी गति-अवरोध का भी। परन्तु फिर वे अंत में सफल हुई।

यह खेद की बात है कि हमारे मुसलमान मित्रों ने अपने आपको इस से बाहर रखा है और वे इस परिषद् के विमर्श में भाग नहीं ले रहे हैं। जब हम यह जानते हैं कि हम हिंदू और मुसलमानों को अपने इसी देश में रहना है, तो हमें शांतिपूर्वक किसी-न-किसी तरह अपने मतभेदों को भी दूर करना होगा। यह आशा की जाती है कि मुस्लिम लीग के सदस्य अभी या कुछ समय पश्चात् परिषद् में अपने उचित स्थानों को ग्रहण कर विचार-विमर्श में भाग लेंगे और सर्वमान्य विधान बनाने में सहायक होंगे।

श्रीमान्जी, विधान-परिषद् के इस महान भवन में हम दलित-वर्गीय संख्या में बहुत कम हैं। परन्तु देश में हमारी जनसंख्या छः करोड़ है। इसमें संशय नहीं कि हम

हिंदू जाति के अंग हैं, परन्तु हमारी सामाजिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि हमें यह अनुभव करना पड़ता है कि हमें पर्याप्त संरक्षणों की आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें अल्पसंख्यकों में माना जाये। जिस तरह एक जाति धार्मिक और कौमी आधार पर अल्पसंख्यक होती है, उस प्रकार नहीं, वरन् वह अल्पसंख्यक जिसका कि भिन्न राजनैतिक अस्तित्व हो। यह बताना अनावश्यक है कि हमारा भिन्न राजनैतिक अस्तित्व है। मेरा विचार है कि जो दलितवर्ग की उन्नति में स्वयं रुचि रखता है, वह यह स्वीकार करेगा कि राजनैतिक उन्नति के लिए इस वर्ग को समुचित संरक्षण की आवश्यकता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने स्वयं वचन और कर्म से स्वीकार किया है। पूना-संधि महात्मा गांधी की उपज है, और हरिजन-पत्र में उनके लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि दलित-वर्ग के हितों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

16 मई का मंत्रि प्रतिनिधिमंडल का विवरण (Statement) दलित-वर्ग के बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन दिल्ली में विवरण के छप जाने के बाद ब्रिटिश मंत्रियों ने जो प्रेस कान्फ्रेंस की, वह यह स्पष्ट बतलाती है कि दलित-वर्ग को अल्पसंख्यक मानना चाहिए। इसके पश्चात् लोक सभा (House of Commons) और सरदार सभा (House of Lords) के वाद-विवाद में भी दलित-वर्ग को अल्पसंख्यकों के समान संरक्षण देने के महत्त्व पर जोर दिया गया।

श्रीमान्जी, अल्पसंख्यकों की समस्या एक बड़ी पेचीदा समस्या है, विशेष कर भारत जैसे देश में जहां अनेकों सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न प्रकार के हित लिए हुए रहते हैं। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में और उनके लिए संतोषजनक समाधान खोजने में मेरा विश्वास है कि इस विधान-परिषद् को बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि यह हो चुका, तो हाउस को अन्त में विधान बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम दलित-वर्ग के सदस्यों को यह आशा है कि विधान-परिषद् हमारे साथ न्याय करेगी। समस्त प्रान्तों और देशी रियासतों में दलित-वर्ग हैं, वे देशी रियासतों, प्रान्तों और केन्द्र के व्यवस्थापक मंडलों (Lagislatures) में जनसंख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। वे किसी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करते हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का अधिक प्रतिनिधित्व किसी जाति को दिया जाये तो वे भी अनुपात में उसकी मांग करते हैं।

प्रस्ताव का चौथा पैरा बतलाता है:

> ''सर्व शक्तिसम्पन्न स्वतंत्र भारत, उसके वैधानिक अंग और शासन के अंग को सब शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।''

मैं विचार करता हूं कि यह प्रस्ताव का सबसे अच्छा भाग है। यह भारत की सर्व-साधारण जनता के हृदय में वास्तविक शक्ति का संचार करेगा। अन्य प्रजातंत्र देशों की जनता के समान भारत की जनता में इतनी अधिक राजनैतिक जागृति

[श्री पी.आर. ठाकुर]

न हो सके, परन्तु यही भावना कि राज्य को सर्वसत्ता जनता से प्राप्त होगी, दलित-वर्ग में शीघ्र ही राजनैतिक जागृति उत्पन्न करेगी।

प्रस्ताव का सातवां पैरा बतलाता है:

''जिसके द्वारा प्रजातंत्र राष्ट्र की अखंडता का निर्वाह किया जायेगा।''

यह भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हम दलित-वर्गीय इस देश के आदि निवासी हैं। सवर्ण हिंदू और मुसलमानों के सदृश हम विजयी बन कर भारत में बाहर से आने का दावा नहीं करते हैं। सत्य तो यह है कि भारतवर्ष हमारा है और हम यह नहीं सह सकते कि हमारा यह प्राचीन देश केवल मुसलमानों और सवर्ण हिंदुओं में बांटा जाये।

मैं बंगाल का हूं, आपमें से अनेकों ने वहां के गृह-उत्पातों (Civil Disturbance) के सम्बन्ध में सुना होगा। दलित-वर्ग को सबसे अधिक हानि हुई। हम मुस्लिम लीग के, अपने प्यारे बंगाल को हमसे छीनने और पाकिस्तान में मिला देने के, किसी भी दावे को अस्वीकार करते हैं। हम समूह बनाने के विचार का भी विरोध करते हैं हम भारतवर्ष की अखंडता का निर्वाह करने के लिए घोर संग्राम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मुस्लिम लीग समझदारी से काम लेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि बंगाल में मुस्लिम लीग के नेता दलित-वर्ग के एक भाग पर अपनी इच्छा के नेता थोपकर उससे सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा विचार है कि वे अपनी पाकिस्तान की झक को दृढ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। परंतु सौभाग्य से दलित-वर्ग का वह भाग बहुत छोटा है। मैं आशा करता हूं कि यह विधान-परिषद् ध्यान रखेगी कि बिना दलित वर्गों की स्वीकृति प्राप्त किये बंगाल के सम्बन्ध में कुछ भी न किया जाये। वे बहुल संख्या में हैं।

अंत में मैं अपने हर्ष को प्रकट किये बिना नहीं रह सकता हूं कि भारतवर्ष शीघ्र ही स्वतंत्र होगा। वह समय आ गया है। संसार में कोई भी शक्ति नहीं है जो इसे रोक सके। कुछ मेरे मित्रों ने, विशेष कर डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व देश में गृह-युद्ध होगा। दलित-वर्ग उसका सहर्ष मुकाबला करेगा, वास्तव में वे उसके लिये तैयार हैं।

इन थोड़े से शब्दों के द्वारा मैं माननीय पंडित जवाहरलाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***सभापति:** इसके पश्चात् सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर को बोलने का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्योंकि वे खड़े होकर बोलने योग्य नहीं हैं, मैं उनको बैठकर बोलने की आज्ञा देता हूं। मुझे आशा है कि हाउस को इसमें कोई आपत्ति न होगी।

***माननीय सदस्यगण:** कोई आपत्ति नहीं।

***दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर** (मद्रास : जनरल): श्रीमान् जी, हमारे नेता माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य प्रस्ताव पर प्रभावशाली वक्तव्य के पश्चात् और माननीय जयकर के संशोधन पर अन्य वक्ताओं के प्रभावयुक्त वक्तव्यों के पश्चात् मैं यथा शक्ति संक्षेप में बोलने का प्रयत्न करूंगा।

अपने संशोधन के पक्ष में मेरे मित्र माननीय डॉक्टर जयकर ने अनेक विषय उठाये, जो कि सब-के-सब मुझे भय है कि परस्पर एक-दूसरे से संगत नहीं हैं। उनका पहला विषय था कि इस अधिवेशन में, विधान-परिषद् का केवल यही कर्त्तव्य था कि वह कार्यक्रम का निश्चय करती और तुरन्त ही ए, बी और सी भागों में विभाजित हो जाती, क्योंकि मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा में कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के करन का विचार न था। दूसरा उनका यह संशय था कि क्या इस परिषद् को यह अधिकार होगा और किसी हालत में वह उचित और अनुमति-योग्य होगा कि मुस्लिम लीग के विधान-परिषद् में आने के निश्चय के पूर्व कोई प्रस्ताव पास करे। अन्त में उन्होंने यह विषय उठाया कि रियासतों के प्रतिनिधियों के आने से पूर्व परिषद् को यह उचित नहीं कि वह प्रस्ताव स्वीकार करे।

मैं यह कहने का साहस करता हूं कि एक भी विषय में पुष्टता नहीं है। पहले विषय के सम्बन्ध में मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा किसी कानून के रूप में नहीं है, जिसका आशय विधान-परिषद् को भारत के लिए विधान बनाने के मार्ग का अनुसरण करने के प्रत्येक विवरण को सामने रखने का हो। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल का स्वयं की भाषा में, उनका उद्देश्य केवल उस व्यवस्था से है, जिससे कि भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही निश्चित हो सके। यह अविचारणीय है कि बिना आदेश-मूलक लक्ष्य के जिसे कि परिषद् को अपने सामने निश्चय करना है, कोई भी विधान बनाया जा सकता है या इस सम्बन्ध में किसी मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। वास्तव में आदेशमूलक लक्ष्य बनाने में किसी प्रकार भी यह परिषद् मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के मुख्य सिद्धान्तों का विरोध अथवा प्रतिवाद नहीं करती है। किसी भी विधान-परिषद् या सम्मेलन (Convention) की कार्यवाही की, जिसने कि इस प्रकार के लक्ष्य को कार्यवाही के आरंभ होने पर न बनाया हो, आप व्यर्थ खोज कर सकते हैं। इसलिये मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के ''कार्य-प्रणाली'' शब्दों का ठीक अर्थ क्या है, इस विषय को और अधिक विस्तृत करने का प्रस्ताव मैं नहीं रखता हूं।

अब प्रस्ताव के गुणों पर आइये। प्रस्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस पर कि मुसलमान या रियासतें यदि सम्मिलित होने का निश्चय करती हैं, तो अपवाद कर सकें। वास्तव में इन दोनों दलों में से कोई भी इस परिषद् में स्थान प्राप्त

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

नहीं कर सकेंगी, जब तक कि वे स्वतंत्र भारत के लक्ष्य को स्वीकार नहीं करतीं। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा कई पैरों में बताती है कि विधान-परिषद् ''स्वतंत्र भारत का विधान बनने का कार्य-भार ग्रहण करती है।'' वे घोषणा के 24वें पैरे में अपील करते हैं कि ''भारतीय जनता के नेतागणों को अब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर है'' और वे कहते हैं कि ''वे विश्वास करते हैं कि प्रस्ताव भारत की जनता को कम-से-कम समय में स्वतंत्रता प्राप्त करा सकेंगे।'' मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा अनेकों प्रकार से घोषित करती है कि ''नवीन स्वतंत्र भारत की इच्छा पर है कि वह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य रहे अथवा नहीं'' और सदैव वे यही आशा प्रकट करते हैं कि ''भारत ब्रिटिश जनता के निकट और मैत्रीपूर्ण सम्पर्क में रहे।'' जनतंत्र भारत को, जैसे कि आयरलैंड है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के सदस्य होने में कोई भी बाधा नहीं है। वास्तव में यह साधारण ज्ञान है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की सत्ता के कारण वर्ष-प्रतिवर्ष और दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। मुस्लिम लीग ने कई मौकों पर यह स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्रता की वह उतनी ही पक्षपातिनी है, जितनी कि कांग्रेस। इस हाउस में हमें अव्यक्त भावों को व्यक्त करने का अधिकार नहीं है कि मुस्लिम-भारत इस उद्देश्य से जो कुछ कहता है, वह आशय नहीं रखता। केवल पाकिस्तान के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग ने वाद-हेतु उपस्थिति किया था। इस पर मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा एक भारतीय संघ (यूनियन) को निश्चित रूप में स्वीकार करती है। यदि मुस्लिम लीग एक भारतीय संघ को स्वीकार करती है, तो मुस्लिम लीग के सदस्य विधान-परिषद् में कोई स्थान पा सकते हैं या पा सकेंगे। न ऐसा आश्वासन है और न कोई संकेत है कि इस प्रस्ताव को अगले माह के किसी अन्य दिवस के लिए स्थगित करने से मुस्लिम लीग परिषद् की कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का निश्चय करेगी। इसलिए यह तर्क कि मुस्लिम लीग वर्तमान विधान-परिषद् से बाहर है और भविष्य में उसके आने की सम्भावना है, हाउस के समक्ष उपस्थित प्रस्ताव के औचित्य को अपुष्ट नहीं करता है।

अब रियासतों पर आइये। यहां फिर देशी रियासतें या रियासतों के प्रतिनिधि इस परिषद् में केवल तभी स्थान पा सकते हैं, जब कि वे स्वतंत्र भारत के सिद्धान्त और मत को स्वीकार करें और स्वतंत्र भारत के विधान बनाने के कार्य को स्वीकार करें, अन्यथा उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनको स्वतंत्र भारत के वैधानिक अंग बनने या न बनने में से किसी एक को अपनाना होगा। यदि वे सम्मिलित होते हैं तो केवल इसी आधार पर सम्मिलित हो सकते हैं कि वे भी स्वतंत्र भारत के विधान बनाने के आदर्श और उद्देश्यों को उतना ही स्वीकार करते हैं, जितना कि हम ब्रिटिश भारत में। मैं यह अनुभव करता हूं कि रियासतों

के परिषद् की कार्यवाही में सम्मिलित होने में, केवल देर से आने में अनौचित्य हो, इसके लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इस स्थिति में इस परिषद् को अपने लक्ष्य को एक ऐसे प्रस्ताव का रूप, जो परिषद् के मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के परे अन्य किसी बात की स्वीकृति नहीं कराता है, देने में यह कोई अड़चन नहीं हो सकती है। क्या इस परिषद् ने कार्य आरम्भ कर दिया है या नहीं? अथवा जब तक कि रियासतें सम्मिलित न हों क्या इस परिषद् की कार्यवाही स्थगित समझी जाये? हमने अपना सभापति चुन लिया है, हम कार्यक्रम के नियम बनाने के लिए अग्रसर है और हमने स्वतंत्र भारत का विधान बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया हैं यह कैसे कहा जा सकता है कि इस विधान-परिषद् ने कार्य आरम्भ नहीं किया है। क्या इस तर्क में कोई सार है कि जब तक कोई दूसरा दल इस परिषद् में सम्मिलित न हो अथवा न हो सके, इस परिषद् को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिये? जैसा कि पंडित नेहरू ने दृढ़ता से बताया है कि स्वतंत्र भारत राजतंत्र नहीं हो सकता। हिन्दू, मुसलमान या सिख कोई भी हो संघ (Union) का मुख्य प्रबन्धक पैतृक उत्तराधिकार से पदाधिकारी नहीं हो सकता। वह केवल प्रजातंत्र विधान का एक आवश्यक पूर्ण अंग हो सकता है।

प्रस्ताव के चौथे परिच्छेद में जो निम्नलिखित है—इस हाउस के बाहर रियासतों की ओर से कुछ केन्द्रों में जो आपत्ति उठाई गई है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है।

> ''सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत, उसके वैधानिक भाग और राज्य के अंग को समस्त शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त होगी।''

क्या यह सुझाव उपस्थित किया है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत के सम्बन्ध में प्रान्तीय भागों की सत्तायें जनता से प्राप्त होंगी और जहां तक रियासतों का सम्बन्ध है, उनके पैतृक उत्तराधिकारी शासकों से? सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत का विधान भारत की जनता की इच्छाओं का साकार चित्र है—उस भारत का जो कि अखंड रूप में प्राणाभूत-स्वत्व के समान विचारा गया है—और स्वयं प्रादेशिक इकाइयों के सम्बन्ध में भी शासकों के अधिकार अन्त में सम्बन्धित जनता की इच्छाओं पर ही निर्भर हो सकते हैं। रियासतों की राज्य-व्यवस्था, चाहे वह एकतंत्रीय हो अथवा सर्वतंत्रीय, अपना अधिकार सम्बधित जनमत से ही प्राप्त करते हैं। राजाओं का दैवी अधिकार आधुनिक संसार के किसी भाग में आजकल न्याययुक्त अथवा राजनैतिक मत नहीं है। मैं यह विश्वास नहीं करता हूं कि इस प्रकार के मध्ययुग या प्राचीन मतानुसार पैतृक अधिकार प्राप्त किये हुये शासकों के अधिकारों का निर्वाह करना सम्भव होगा। इस सम्बन्ध में मंत्रिप्रतिनिधि मंडल यथेष्ट रूप में सचेत हैं और अपनी घोषणा

[दीवान बहादुर सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर]

में सर्व स्थलों में भारतीयों का ही उल्लेख किया है, जिसका आशय है ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों स्थान के भारतीयों से। भारत का भावी विधान निश्चित करने में वर्तमान ब्रिटिश भारत और वर्तमान रियासतों के भारतीयों में कोई अन्तर नहीं रखा है। मुझे केवल मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा के 1, 3, 14 और 24 परिच्छेदों का हवाला देने की आवश्यकता है।

एक और साधारण प्रश्न है, जो कि आलोचना का विषय बन गया है—डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा उपस्थित—प्रस्ताव में दलबन्दी पर खामोशी। मुझे यह कहने में हर्ष है कि डॉक्टर साहब ने वाद-विवाद में अखंड भारत का पक्ष ग्रहण कर अत्यन्त लाभदायक विचार उपस्थित किये हैं। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा का गम्भीर विवेचन इस धारणा की ओर संकेत करता है कि दलों (Groups) का बनाना वैधानिक ढांचे का आवश्यक अंग नहीं है। वास्तविक रूप में, मुख्य सिफारिशें हैं कि कुछ विषयों से सम्बन्ध रखने के लिये एक भारतीय संघ हो, संघ के विषयों के अतिरिक्त अन्य विषय और शेषाधिकार प्रांत और रियासतों के अन्तर्गत हों, मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की योजनाओं के अनुसार रियासतें मिलकर प्रांत की स्थिति ग्रहण करें। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल के विचारानुसार प्रांतों को स्वयं दल (Groups) बनाने में बाधा उपस्थित करने के लिये इस प्रस्ताव में कोई बात नहीं है। ''कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक'' निर्बलता की व्यवस्था में कुछ टिप्पणियां हैं। ''कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक'' कथन का आशय यद्यपि इस देश और परिषद् से किसी विशेष प्रकार की राज्य-शासन-विधि को किसी विशिष्ट निर्देशानुसार स्वीकृत कराने का नहीं, परन्तु आधुनिक प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य के मौलिक उद्देश्यों को दृढ़ करने का है। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि बनाया हुआ विधान उन्नति के आवश्यक तत्व और उन्नतिशील समाज के लिये आवश्यक व्यवस्था रखेगा। कदाचित् हमें यह स्मरण रखना है कि जिस प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं, वह इस परिषद् के मुख्य उद्देश्य को दृढ़ करने वाला है न कि व्यवस्था की भूमिका।

प्रस्ताव के विभिन्न भागों की पूर्ण परीक्षा की ओर अग्रसर हुए बिना ही जो कुछ मुख्य बात है, वह यह है कि इस अधिवेशन में हम इस स्थिति पर पहुंचने चाहिये कि हम अपनी जनता और सभ्य संसार के सामने अपने लक्ष्य के प्रयत्न की घोषणा कर सकें। लोकल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के विधान के ढंग का विधान बनाने के लिए यह परिषद् नहीं है, या देश के यत्र-तत्र भागों के वर्तमान विधान में परिवर्तन करने के लिए यह परिषद् नहीं है। बल्कि यह परिषद् स्वतंत्र भारत का विधान सम्पूर्ण जनता की, इस विशाल ऐतिहासिक देश की, जाति, वर्ग, सम्प्रदाय या मत से निरपेक्ष हो अनेकों शताब्दियों से अवनति को प्राप्त हुई, उस

प्राचीन सभ्यता की भलाई के लिए और स्वतंत्रता के लिए हुलसित जन-समाज की उमड़ती हुई आकांक्षाओं के लिए साकार चित्र बनाने के लिए है। किसी तर्क से अधिक हाउस के समक्ष प्रस्ताव को सुदूरपूर्वीय बंगाल के गांव से, भारत के राजनैतिक भाग्य-विधाता महात्मा गांधी का आश्रय और आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, मैं विश्वास करता हूं कि बिना किसी मतभेद के समस्त हाउस खुशी से इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगा और मेरे आदरणीय मित्र महामान्य डॉक्टर जयकर अपने संशोध न को वापस लेने का अपना मार्ग निकालेंगे। यदि उनकी इस सुझाई हुई विधि के विरुद्ध अन्त:करण से प्रेरित अधिक शक्तिशाली आपत्ति न हो।

(करतल ध्वनि)

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, सभापति जी, मैं उन लाखों अपरिचित फिर भी बहुत प्रमुख स्वतंत्रता के अप्रमाणित योद्धाओं, भारत के आदिवासियों जो कि भिन्न-भिन्न प्रकार की पिछड़ी हुई जाति, असभ्य जाति, जरायन पेशा कौम, और जो कुछ भी हो, नामों से परिचित की गई है की ओर से बोलने खड़ा होता हूं। श्रीमान्जी, मुझे जंगली होने का गौरव है, यही नाम है जिससे कि हम अपने देश में पुकारे जाते हैं। जिस प्रकार का जीवनयापन हम जंगलों में कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इस प्रस्ताव का पक्ष लेने का क्या अर्थ है। तीन करोड़ से अधिक आदिवासियों की ओर से *(करतल ध्वनि)* मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, केवल इसीलिए नहीं कि यह प्रस्ताव भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता ने प्रस्तुत किया है, बल्कि मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि यह वह प्रस्ताव है, जो कि देश के प्रत्येक हृदय के हुलसित भावों को विदित करता है। मुझे इस प्रस्ताव की शब्द-योजना पर कोई आपत्ति नहीं है। एक जंगली और आदिवासी होने के नाते से इस प्रस्ताव की कानूनी उलझनों को समझने की मुझसे आशा नहीं की जाती है। लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि और मेरी जनता की सामान्य बुद्धि मुझे यह बतलाती है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को इस स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिये और मिलकर संघर्ष करना चाहिये। श्रीमान्जी यदि कोई दल है जिसके कि साथ भद्दा बर्ताव किया गया है, तो वह मेरा ही दल है। गत 6000 वर्षों से उसकी अवहेलना की गई है और उनके साथ अनादरपूर्वक व्यवहार किया गया है। ''सिन्ध की तराई की सभ्यता'' का इतिहास—जिसका एक बच्चा मैं भी हूं—यह स्पष्ट बतलाता है कि वे नवागन्तुक थे—आपमें से बहुत से यहां अनिमंत्रित आगन्तुक हैं, जहां तक मेरा सम्बन्ध है—जिन्होंने मेरी जनता को सिन्ध की तराई से जंगलों में खदेड़ा। यह प्रस्ताव आदिवासियों को जनतंत्र शासन व्यवस्था सिखलाने के लिए नहीं है। आप जंगली कौमों को जनतंत्र शासन व्यवस्था नहीं सिखा सकते हैं, आपको जनतंत्रात्मक प्रयोग उनसे सीखने होंगे। पृथ्वी पर वे सर्वोच्च कोटि के जनतंत्रात्मक व्यक्ति हैं। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया है, मेरी जनता जो कुछ

[श्री जयपाल सिंह]

चाहती है। वह पर्याप्त संरक्षण नहीं है। उन्हें मंत्रियों से रक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है, जैसी कि आज की स्थिति है—हम किसी विशेष रक्षा की मांग नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि अन्य भारतीय व्यक्ति के समान हमसे भी व्यवहार किया जाये। हिन्दुस्तान की समस्या है। पाकिस्तान की समस्या है। आदिवासियों की समस्या है। यदि हम सब विभिन्न परस्पर विद्रोही दिशाओं में चिल्लायें, विभिन्न प्रकार से विचार करें, तो उसका फल कब्रिस्तान होगा। मेरा समाज का समस्त इतिहास भारत में बाहर से आये हुये व्यक्तियों द्वारा निरन्तर स्वत्व-हरण और शोषण का इतिहास है, जो विद्रोह और अव्यवस्था से अंकित है और फिर भी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को स्वीकार करता हूं। मैं आप सबके शब्दों में विश्वास करता हूं कि अब हम भारत में नया परिच्छेद आरम्भ करने को हैं—यह वह स्वतंत्र भारत का नया परिच्छेद है, जिसमें कि अवसर भी समानता होगी और किसी की अवहेलना न होगी—मेरे समाज में जाति का प्रश्न नहीं है। हम सब समान हैं। क्या तीन करोड़ से अधिक व्यक्तियों का पूर्णतया विस्मरण कर मंत्रिप्रतिनिधि मंडल ने हमारे साथ लापरवाही का बर्ताव नहीं किया है? क्या यह केवल राजनीति का कोरा दिखावा है कि आज हमारे 6 सदस्य इस विधान-परिषद् में हैं। यह किस प्रकार? हमारे उचित प्रतिनिधित्व के लिए भारतवर्षीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? क्या नियमों में ऐसा विधान लागू होगा, जिसके द्वारा आदिवासियों की और भी अधिक संख्या में आने की सम्भावना हो? श्रीमान् जी, आदिवासियों से मेरा आशय केवल पुरुषों से ही नहीं स्त्रियों से भी है। विधान-परिषद् में बहुत से पुरुष हैं। हम अधिक स्त्रियां चाहते हैं—श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के सदृश स्त्रियां, जिसने कि इस जाति विशिष्टता का संहार कर अमेरिका में विजय पा ही ली। मेरा समाज 6000 वर्षों से केवल आपकी जाति-विशिष्टता, हिन्दुओं की और प्रत्येक अन्य व्यक्ति की जाति-विशिष्टता से यंत्रणा उठाता चला आ रहा है। श्रीमान् जी, एडवाइजरी कमेटी (सलाहकार समिति) है। मेरा समाज आदिवासियों का भारतीय भी है। वे सलाहकार कमेटी के चुनाव में जो कुछ होने वाला है, उसके लिए विशेष चिन्तित हैं। जब कि पहले मुझे स्मारक पत्र की प्रति जैसी कि मंत्रिप्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रथम प्रेषित की गई थी, दी गई थी, 20वें सेक्शन की भाषा निम्न प्रकार की थी:

> ''सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्पसंख्यकों,..... कबाइलियों और पृथक् किये क्षेत्रों के अधिकारों के आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी। (ध्यान रखिये पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी)।''

अब जब कि आज्ञा पत्र 6821 में मैं उसकी प्रतिलिपि पढ़ता हूं, तो वही 20वां परिच्छेद भिन्न तथा इस प्रकार है:

''सलाहकार कमेटी नागरिकों, अल्पसंख्यकों कबाइलियों और पृथक् किये क्षेत्रों के अधिकारों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी।''

***सरदार हरनाम सिंह** (पंजाब : सिख): गलत छपा। मूल ग्रंथ में ''आघात किये हुये हितों का पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त करेगी'' है।

***माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू:** क्या ऐसा है?

***सरदार हरनाम सिंह:** मुझे पूर्ण विश्वास है।

***श्री जयपाल सिंह:** इस विषय में मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता हूं। मेरे विचार से हमको धोखा देने के लिए यह शाब्दिक जाल है। आदिवासियों को उचित व्यवहार देने के आश्वासन के अनेकों वक्तत्व और प्रस्ताव पढ़े हैं। यदि इतिहास मुझे कुछ भी सिखाता है, तो मुझे इस प्रस्ताव पर अविश्वास प्रकट करना चाहिये, पर मैं ऐसा नहीं करता। अब हम नवीन पथ पर हैं। अब हमें केवल परस्पर विश्वास करना सीखना है। मैं अपने अन्य मित्रों से जो आज हमारे साथ उपस्थित नहीं हैं, निवेदन करता हूं कि वे सम्मिलित हों, वे हम पर विश्वास करें और हम इसके एवज में उन पर विश्वास करना सीखें। मुझे दु:ख है कि हाउस में दलों और अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में आवश्यकता से अधिक वार्तालाप हुआ है। श्रीमान् जी, मैं अपने समाज को अल्पसंख्यकों में नहीं समझता। आज सुबह इसी भवन में हमने यह भी सुना है कि दलित-वर्ग भी अपने आपको आदिवासियों—इस देश के मूल निवासियों—में समझता है। यदि आप बाह्य जातियों को और अन्य व्यक्तियों को, जो कि सामाजिक दृष्टि से मानव-समाज के अंतर्गत नहीं हैं, इस प्रकार बढ़ाते चले जायेंगे, तो हम अल्पसंख्यकों में नहीं हैं। किसी प्रकार भी हमारे चिरकालीन अधिकार हैं, जिनको अस्वीकार करने का कोई साहस नहीं कर सकता। मुझे विश्वास हो गया है कि इस प्रस्ताव का प्रेषक ही नहीं, वरन् प्रत्येक व्यक्ति जो यहां है, हमारे साथ न्यायोचित व्यवहार करेगा।

थोथे शब्दों की घोषणा करने से नहीं, वरन् यह न्यायोचित व्यवहार के कारण ही होगा कि हम ऐसा विधान, जिसका आशय वास्तविक स्वतंत्रता से होगा, बना सकें। मैंने देश के विभिन्न भागों में दिये गये पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्यों को सुना है। चुनाव के समय में आसाम के दौरे में जो कुछ उन्होंने कहा, उससे मैं विशेष कर अधिक प्रभावित हुआ। जब मैं रामगढ़ में था, मैंने उन्हें आने और साठ हजार आदिवासियों को, जो कि रांची में केवल 30 मील की दूरी पर एकत्रित थे, व्याख्यान देने के लिये निमंत्रित किया। दुर्भाग्यवश वे कार्यरत रहे और न आ सके। बड़े सुन्दर विचार प्रकट किये गये हैं अब श्रीमान् जी, यदि मुझे आज्ञा हो तो उन शब्दों को उद्धृत करूं, जो कि मौलाना अबुलकलाम आजाद ने रामगढ़ में कहे:

[श्री जयपाल सिंह]

> ''कांग्रेस अपनी शर्तों को स्वीकार कराना नहीं चाहती है। वह अल्पसंख्यकों को स्वयं अपने संरक्षण-सूत्र बनाने के पूर्ण अधिकार को स्वीकार करती है। जहां तक कि उनकी समस्या के निर्णय का सम्बन्ध है, वह बहुसंख्यकों के शब्द पर निर्भर नहीं है।''

श्रीमान् जी, आदिवासियों की अनेकों समस्याओं का हल मेरे मस्तिष्क में स्पष्ट है और इस विषय को किसी भावी तिथि में स्पष्ट किया जायेगा—यहां मैं केवल उस न्यायोचित हल की जिसमें मेरा विश्वास है, रूप-रेखा दे सकता हूं और वह है प्रान्तों की सीमाओं का साहसपूर्वक पुनरंकन। मेरे क्षेत्र की स्थिति को स्वयं आपने भली प्रकार कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में जबकि आप स्वागत समिति के प्रधान थे, उपस्थित किया था। क्या मैं हर्षातिरेक के शब्दों को, जो आपने वहां कहे थे, पढ़ूं?

> ''बिहार का यह भाग जहां यह विशाल जनसमूह एकत्रित हो रहा है, अपनी स्वयं विशेषता रखता है। सौंदर्य में यह अनुपम है। इसका इतिहास भी अनोखा है। इन भागों में अधिकतर वे लोग बसते हैं, जो कि भारतवर्ष के मूल निवासी माने जाते हैं। अन्य व्यक्तियों की सभ्यता से इनकी सभ्यता कई बातों में भिन्न है। प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता बहुत पुरानी है। आदिवासी आर्यों से भिन्न वंश के हैं—और इनके वंश के मनुष्य भारत के दक्षिण पूर्व के कई टापुओं में सुदूर तक फैले हुये हैं—इनकी प्राचीन सभ्यता इन भागों में पर्याप्त सीमा तक सुरक्षित रही है। सम्भवत: अन्य स्थानों से अधिक।''

श्रीमान् जी, मैं कहता हूं कि आप मेरे समाज को प्रजातंत्र शासन-विधि नहीं सिखा सकते हैं। मैं इसको दुबारा कहूं कि यह केवल आर्यों के दलों के पदार्पण से ही है कि प्रजातंत्र शासन-विधि के चिह्न अवसान को प्राप्त हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी हाल की प्रकाशित पुस्तक में इस स्थिति को बड़े सुन्दर ढंग से रखा है और मेरा विचार है कि मैं उसे उद्धृत करूं। अपनी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी (Discovery of India) में वे सिन्ध की तराई की सभ्यता और तद्गामी शताब्दियों का उल्लेख करते हुये कहते हैं:

> ''अनेकों कबाइली प्रजातंत्र शासन थे, उनमें से कुछ बड़े-बड़े क्षेत्रों को घेरे हुये थे।''

श्रीमान् जी, अब भी फिर अनेकों कबाइली प्रजातंत्र होंगे वे प्रजातंत्र जो कि भारत की स्वतंत्रता के युद्ध में सबसे आगे रहेंगे। मैं हृदय से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वे सदस्य जो कि अभी सम्मिलित नहीं हुये हैं, अपने देशवासियों में वैसा ही विश्वास करेंगे। आओ, हम साथ-साथ बैठकर,

साथ-साथ काम कर, साथ ही साथ लड़ें। तभी हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। *(करतल ध्वनि)*

***सभापतिः** मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। 16 मई 1946 ई. की घोषणा की पुनः प्रकाशित प्रति को उसी रूप में स्वीकार किया गया था। जिस रूप में कि वह पार्लियामेंट के हाउसों में उपस्थित की गई थी।

***श्री जयपाल सिंहः** जो प्रति मुझे दी गई है, उस पर बिहार के गवर्नर के हस्ताक्षर हैं।

***सभापतिः** मैं नहीं जानता कि परिवर्तन किसने किया है। इस पुस्तक में वैसी ही घोषणा है, जैसे कि आज्ञापत्र में पार्लियामेंट को उपस्थित की गई थी।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी** (बंगाल : जनरल): क्या मैं यह जान सकता हूं कि सही शब्द क्या है? ''उपयुक्त'' या ''पूर्ण''?

***सभापतिः** ''उपयुक्त'' शब्द है जो मुझे छपा हुआ मिलता है।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जीः** जो पुस्तकें हमें दी गई हैं; उनमें पूर्ण का प्रयोग किया गया है।

***सभापतिः** कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। मुझे यह मालूम करना है कि यह किस प्रकार हुआ? यह ठीक वैसा ही है जैसा कि पार्लियामेंट को उपस्थित किया गया था।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जीः** पुस्तक जो हमें मिली है, श्रीमान् जी.....।

***सभापतिः** मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा। मैं समझता हूं कि घोषणा जैसी कि इस पुस्तक में छपी है, ठीक वैसी ही पार्लियामेंट में उपस्थित की गई थी।

***श्री जयपाल सिंहः** पार्लियामेंट में पेश होने से पूर्व 'पूर्ण' शब्द था।

***श्री देवीप्रसाद खेतान** (बंगाल : जनरल): श्रीमान्, सभापतिजी, व्यापारिक दल के प्रतिनिधि होने के नाते, मैं इस प्रस्ताव को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। इस दृष्टिकोण के आधार पर मैं हृदय से पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और माननीय डॉक्टर जयकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमें यह स्मरण कराके कि वे संघ शासन सम्बन्धी न्यायालय (Federal Court) के न्यायाधीश रहे और प्रिवी कौंसिल के वर्तमान सदस्य हैं डॉक्टर जयकर ने हमारे सामने अपना मत रखा है, जिसका समर्थन सम्भवतः न तो घोषणा और न वर्तमान परिस्थिति से ही होता है। मेरे विनम्र विचार से जो कुछ मंत्रिप्रतिनिधि मंडल ने किया, वह जनता की स्वतंत्रता प्राप्त करने की अभिलाषा को मान्य करना, विधान-परिषद् के विचार-विमर्श कर कुछ जंजीरें कसना और शेष कार्य को देश

[श्री देवीप्रसाद खेतान]

के प्रतिनिधियों की बुद्धि और चातुर्य पर छोड़ना था। मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा में अनेकों रिक्त स्थान हैं, जिनकी पूर्ति करने का और अपने विधान को इस प्रकार का रूप देने का जो कि हमारी समझ से जनता की अभिलाषाओं की पूर्ति करे और हमें एक अच्छा विधान प्राप्त कराये, ये अधिकार हैं सम्भवतया डॉक्टर जयकर विचार करते हैं कि इस स्थिति में हम केवल प्रधान चुनने और सामान्य कार्य प्रणाली बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। श्रीमान् जी, मैं समझता हूं कि वे सामान्य कार्यप्रणाली की व्याख्या बहुत संकीर्णता से कर रहे हैं जब तक कि हम उन सामान्य लक्ष्यों को, जो हमें प्राप्त करने हैं, बनाने के लिए तत्पर नहीं होते, जब तक कि हम इस देश का विधान बनाने के लिए कुछ समितियां, जो कि आवश्यक हैं, बनाने के लिए उद्यत नहीं होते और जब तक कि हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या करने के लिए समिति नियुक्त करने को तैयार नहीं होते, मैं नहीं जानता कि देश का विधान बनाने के लिए अग्रसर होना हमारे लिए किस प्रकार संभव है। डॉक्टर जयकर के तर्कानुसार इस प्रथम अधिवेशन में हम केन्द्रीय विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं समझ पाता कि बिना ऐसा किये हम किस प्रकार अग्रसर हो सकेंगे? यदि इस समय हम केन्द्रीय विषयों की व्याख्या नहीं कर पाते, तो प्रांतों और दलों के लिए अपना विधान बनाना संभव नहीं होगा। वे उन सत्ताओं को स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, जो कि अंत में केन्द्रीय सरकार से ले लेनी हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि लक्ष्यों के बनाने के अतिरिक्त हमें यह विदित कर लेना चाहिये कि केन्द्रीय विषयों से क्या आशय है और उनको प्रबन्ध के लिये कितना धन आवश्यक है? इसी प्रकार हमें अन्य सिद्धांत बनाने चाहिये। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति नियुक्त करना, उनके हितों का किस प्रकार संरक्षण करना तथा अन्य कार्यों को करना जो कि इष्ट हैं और मेरे विचार से विधान बनाने के लिए किस प्रकार प्रयत्न करना है। वे (डॉक्टर जयकर) डरते हैं कि यदि हम अब लक्ष्य रखते हैं, तो मिस्टर जिन्ना और उनका दल विधान-परिषद् में शायद शामिल न हो। मैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक उनके इस विचार से मतभेद प्रकट करता हूं। हम अनेकों बार मिस्टर जिन्ना से मिले। क्या हम कभी उनके हृदय को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये सच्चाई से और हमसे ईमानदारी से मिलने के लिये पिघला सके? यहां तक कि जब अन्त:कालीन सरकार बनी, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अन्त:कालीन सरकार में सम्मिलित होने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके विरोध में कहा कि वे वाइसराय का निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस अनेकों

बार किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये उनसे मिली, तो उन्होंने अपने मित्र मिस्टर चर्चिल से निवेदन किया कि वे उसे कुछ कांग्रेस और उनके मध्य मिथ्या-भ्रमों के स्पष्टीकरण के लिये इंग्लैंड बुलायें—मैं उन्हें मिथ्या भ्रम कहता हूं—अब भी जब कि हम विधान-परिषद् के कार्य में अपने देश का भाग्य-निर्माण करने अग्रसर हो रहे हैं, वे अपना समय कैरो में एक रोग फैलाने में व्यतीत कर रहे हैं, जिसे मैं हिन्दू-फोबिया (Hindu Phobia) कहूंगा, कि हिन्दू राज मध्य-पूर्व तक प्रसारित होगा। उनके लिये न मुझे खेद है और न आश्चर्य कि वे कैरो में प्रचार-कार्य करने में संलग्न हैं। यदि वे यह सोचते हैं कि हिन्दू अपना राज्य मध्य-पूर्व तक बढ़ाने में यथेष्ट शक्तिशाली हैं, तब तो उनके लिये अपने देश वापस होना और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विधान शांति-पूर्वक और उन्नति-सहित समस्त अल्पसंख्यकों के हितों का उचित ध्यान रखते हुये, बनाने के लिये हम में सम्मिलित होना अधिक उपयुक्त है। श्रीमान् जी, मैं आशा करता हूं कि हम लोग उस रोग से जिसे मैं जिन्ना फोबिया (Jinnah Phobia) कहूं पीड़ित नहीं होंगे और सदैव मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग से भयभीत होकर अपने आपको पूर्णतया असहाय नहीं बनायेंगे तथा अपने अत्यावश्यक विधान के बनाने में देर नहीं करेंगे। हमें साहस का संग्रह करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि जो विधान बने, वह सबके हितों का संरक्षण करने में न्याययुक्त हो, जिससे कि देश की आर्थिक और राजनैतिक स्वतंत्रता जितना शीघ्र संभव हो, प्राप्त हो सके। यदि हम व्यर्थ देर करते चले गये, तो मैं नहीं समझता कि आगे क्या-क्या कष्ट उत्पन्न हों भविष्य में कष्ट निवारणार्थ मैं इस हाउस के सामने निवेदन करूंगा कि वह साहस धारण करे और विधान बनाने में अग्रसर हो, जिससे कि जितना शीघ्र सम्भव हो सके, हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। श्रीमान् जी, मैं आशा करता हूं कि हम व्यर्थ समय नहीं गवांयेंगे, बल्कि अपने कार्य में अग्रसर होंगे और इसलिये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। *(करतल ध्वनि)*

***श्री डम्बर सिह गुरंग** (बंगाल : जनरल): श्रीमान् सभापतिजी, मैं समझता हूं कि यहां आज भारतवर्ष के स्थाई निवासी 30 लाख गोरखों का केवल मैं प्रतिनिधि हूं। वे तीस लाख हैं—सिखों की आबादी के लगभग, फिर भी इस हाउस में मैं अकेला ही प्रतिनिधि हूं। मुझे यह परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि ये गुरखे कौन हैं उन्होंने अपने प्रशंसनीय युद्ध कौशल से समस्त संसार को स्वयं अपना यथेष्ट परिचय दे दिया है। विगत पहले और दूसरे विश्वयुद्ध के समय में यह पूर्णतया सिद्ध किया जा चुका है कि संसार में उनकी जाति एक महान योद्धा जाति है।

यह उन बहादुर गुरखों की ओर से है कि मैं अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ (All India Gurkha League) के प्रधान के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित

[श्री डम्बर सिंह गुरंग]

प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। यह उपयुक्त समय है जब कि हमें ऐसे शक्तिशाली कदम को उठाना चाहिए। यदि 'हम देखें और प्रतीक्षा करें' वाली नीति को धारण करें जिसका कि डॉक्टर जयकर ने पक्ष लिया है और डॉक्टर अम्बेडकर ने समर्थन किया है, तो हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पायेंगे। यदि हम इस नीति का अवलम्बन करते तो अन्त:कालीन सरकार जो आज कार्य कर रही है, बन ही नहीं सकती थी। सौभाग्य से ये डॉक्टर औषधोपचार के डॉक्टर नहीं हैं। अन्यथा ऑपरेशन में देर कर ये रोगी को मार डालते। *(हंसी)* हमने काफी समय तक प्रतीक्षा की और अब हमको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यह केवल अपनी दुर्बलता का प्रदर्शन होगा।

श्रीमान् जी, यह बहुधा कहा गया है कि गोरखे स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक रहे हैं। यदि उस दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह सच हो, पर यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि विशेषतया सेना विभाग (Military Dept.) में कर्त्तव्य की भारी प्रमुखता और अनुशासन अत्यन्त आवश्यक अंग है, जिसकी अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र राज्य नहीं कर सकता। अब स्वतंत्र भारत में आप हमसे वही करने के लिए कहेंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार हमसे कहती थी और यदि कोई विधान द्वारा स्थापित सरकार में गड़बड़ करने वाला हुआ तो आप उनकी (गुरखों) उस अनुशासन के रखने के लिए प्रशंसा करेंगे।

श्रीमान् जी, गुरखों की समस्या बिल्कुल भिन्न है। वे समस्त भारत में फैले हुए हैं। केवल दार्जिलिंग के जिले और आसाम प्रांत में ही ये लोग किसी सीमा तक घनी आबादी में हैं। इन दोनों क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या लगभग 14 लाख है और शेष समस्त भारत में फैले हुए हैं। शिक्षा और अर्थ संबंधी क्षेत्रों में बहुत ही पिछड़े हुये हैं। यद्यपि हमसे भारत में घृणित-से-घृणित कार्य कराये गये, जिनके कारण भारतीयों द्वारा हम कसाई कहे गये। यद्यपि ब्रिटिश शासन को भारत या अन्य स्थानों में रक्षित रखने के लिये सैकड़ों और हजारों गुरखों के जीवनों को बलिदान किया गया, तो भी ब्रिटिश सरकार ने गुरखों की उन्नति के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया। हमारी अत्यन्त दुखदाई उपेक्षा की गई। केवल युद्धकाल में वे गुरखाओं को स्मरण करते हैं। ब्रिटिश सरकार की सदैव हमें पिछड़ी हुई और अज्ञान अवस्था में रखने की नीति रही, जिससे कि हमारा बलिदान किसी समय और कहीं भी जहां वे चाहें कर सकें।

गुरखे शंका करते हैं कहीं कांग्रेस भी इसी नीति का अनुसरण न करे। इस शंका के लिए एक शक्तिशाली आधार है। विधान-परिषद् के सदस्यों का चुनाव

होने के पूर्व अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ ने (All India Gurkha League) कांग्रेस हाई कमान्ड से विधान-परिषद् में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने की प्रार्थना की, पर हमारे अधिकारों की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई और तीस लाख गुरखाओं को एक सीट भी नहीं दी गई, जबकि एंग्लो-इंडियन को तीन सीटें दी गईं जिनकी आबादी भारत में केवल एक लाख बियालीस हजार है। मैं नहीं समझ सकता कि गुरखे इस प्रकार के और अधिक अन्याय को सहन करेंगे। मैं अभी-अभी नेपाल-नरेश की सेवा में अखिल भारतवर्षीय गुरखा संघ की ओर से एक शिष्टमंडल (डेलीगेशन) के नेतृत्व में गया था और मुझे आशा है कि नेपाल कभी गुरखों का ऐसा शोषण नहीं होने देगा। श्रीमान् जी, गुरखों की मांग है कि उनको अल्पसंख्यक जाति माना जाये और सलाहकार समिति (Advisory Committee) में जो कि बनने वाली है। उनके पर्याप्त प्रतिनिधि होना चाहिए। जब कि केवल 1 लाख 42 हजार एंग्लो-इंडियन की आबादी को अल्पसंख्यक जाति मान लिया गया है और हिन्दुओं में परिगणित जातियों की एक अलग ही जाति मान ली गई है, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि तीस लाख गुरखों की आबादी को क्यों इसी प्रकार न माना जाये। गुरखों को जिनकी कि पूरी जनसंख्या नेपाल सहित एक करोड़ पचास लाख है, स्वतंत्र भारत में बड़ा प्रमुख कार्य करना है। मैं नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

अन्त में श्रीमान् जी, मैं एक शब्द और कहूंगा। यदि मिस्टर जिन्ना अपने आपको भारतीय समझते हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे भारतवर्ष में आयें और यहां आकर अपने मतभेदों को तय करें। क्योंकि यह हमारा घरेलू झगड़ा है। वे क्यों उन लोगों की सहायता खोजते हैं, जिन्होंने कि शताब्दियों तक हमें दासता में रखा है? मैं एक विदेशी के पाखंडपूर्ण दुलार से भाई की ठोकर को अधिक हितकर समझूंगा। यदि बहुसंख्यक दल अल्पसंख्यकों के निमित्त कोई न्याय नहीं करता, तो हम संगठन करेंगे, विद्रोह करेंगे और भारतवर्ष में असह्य कठिनाई उत्पन्न कर देंगे। मुझे भय है कि भारत के प्राचीन इतिहास की पुनरावृत्ति न हो। मैं एक विषय स्पष्ट कर दूं कि कोई भी अल्पसंख्यक (जाति) मिस्टर जिन्ना के मूर्खतापूर्ण पाकिस्तान के अडंगे के अधिकार का समर्थन नहीं करेगी। हम अखंड भारत के समर्थक हैं।

इस सबके विरुद्ध यदि मिस्टर जिन्ना ग्रहयुद्ध की धमकी देते चले आ रहे हैं, तो मैं देशवासियों से उस धमकी को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं और हमें लड़कर उसका निबटारा कर देना चाहिये। गुरखे उनके साथ लड़ेंगे, जो अखंड भारत चाहते हैं और उनका विरोध करेंगे जो भारत का विभाजन चाहते हैं।

***डॉ. सर हरीसिंह गौड़** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान् जी, ज्यों ही कि मैंने माननीय सदस्यों के वक्तव्य सुने, मेरे मस्तिष्क में तीन भिन्न बातें खटकने लगीं। प्रथम—पंडित जवाहरलाल नेहरू का भली प्रकार विचारा हुआ सुन्दर वाक्य-शैली-युक्त प्रस्ताव। द्वितीय—मेरे मित्र डॉक्टर जयकर का अवरोधक संशोधन के रूप में प्रस्ताव और तृतीय—मिस्टर जिन्ना के पाकिस्तान के विरोध में बारम्बार चीख और चौथी प्रसंगवश देशी रियासतों का उल्लेख।

श्रीमान् जी, आरम्भ में मैं प्रस्ताव की ओर संकेत करूं, यह बताया गया है कि विधान-परिषद् का यह प्राथमिक अधिवेशन है और प्रस्ताव के विषय में अग्रसर होने का हमको अधिकार नहीं। जिन व्यक्तियों के ऐसे विचार हैं, उनके प्रति उचित सम्मान-सहित मैं यह बतलाना चाहता हूं कि विधान-परिषद् सर्वशक्ति युक्त संस्था निरूपित की गई है। और यह निरूपण यथार्थ है। यदि यह भारत की सर्वशक्ति-सम्पन्न संस्था है, तो उसे इस प्रस्ताव को जो कि भावी भारत के सम्पूर्ण विधान के मौलिक सिद्धान्त को अंकित करता है, स्वीकार करने का अधिकार है। माननीय सदस्यों का ऐसा विचार प्रतीत होता है कि विधान-परिषद् भारत में आये हुये ब्रिटिश मंत्रिमंडल की उपज है और यह उस लेख की शर्तों के आधीन है, जो कि 16 मई के मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की घोषणा से विख्यात है। मैं सम्मानपूर्वक यह बता देना चाहता हूं कि विधान-परिषद् भारतीय जनता की ध्वनि है। (वाह वाह) और इस देश में आये ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की उपज नहीं और भारत की आवाज होने के नाते से यह भारतीय जनता के प्रति कर्त्तव्य पालन के लिए ऋणी है और जब वह आवाज शक्तिशाली तथा अटल और दृढ़ हुई, तब ब्रिटिश मंत्रि-प्रतिनिधि मंडल ने भारत के दबाव से विवश होकर भारत को इस परिषद् के लिए अपना विधान बनाने के अधिकार को देना स्वीकार किया जिसे भारत अनेक वर्षों से मांग रहा था। इसलिए हम अपने मस्तिष्क से यह बात विदा न करें कि यद्यपि हम मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की इच्छाओं का उचित सम्मान करते है, फिर भी हम उन शर्तों में जो उन्होंने रखी हैं, बंधे नहीं हैं और हमारा, प्रथम कर्त्तव्य, हमारा प्रमुख कर्त्तव्य—अपने स्वामियों भारतीय जनता—के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना है। यदि इस बात को दृष्टि में रखा जाये, तो अन्य प्रश्न पीछे पड़ जायेंगे।

उन प्रश्नों में से एक प्रश्न प्रसंग की शर्तें हैं (Terms of Reference) और श्री जयकर का परिणामभूत संशोधन। मैं यह निवेदन करता हूं कि विधान-परिषद् अपना मान और गौरव खो देगी, यदि वह हमारे मुस्लिम लीग के मित्रों से सहायता पाने के लिए पीछे-पीछे भागती फिरेगी। यदि भारतीय जनता के प्रति हमारा कर्त्तव्य

है, तो उस कर्त्तव्य का पालन करना पड़ेगा और करना चाहिये; चाहे मिस्टर जिन्ना या पंडित जवाहरलाल नेहरू या अन्य कोई व्यक्ति इस परिषद् में सम्मिलित हों, अथवा न हों। ये व्यक्तिगत घटनायें और प्रसंग हैं, लेकिन हमारी विधान-परिषद् को अपना कार्य करना चाहिये, चाहे और लोग आयें, चाहे जायें। (वाह-वाह) मान लीजिये मेसर्स जिन्ना एंड कम्पनी आरंभ में सम्मिलित हो गई—और अपने किसी कारणवश किसी बहुत अच्छे कारणवश मैं आपको विश्वास दिलाता हूं—वे परिषद् से बाहर प्रस्थान कर गये, तो क्या परिषद् को स्थगित करने का—उनके पीछे भागकर उनके आंचल को पकड़ कर उनसे कहने का—''कृपया भागिये नहीं, अन्दर आइये, यदि आप भागेंगे तो हम भी आपके साथ बाहर भाग जायेंगे'' कोई आधार होगा? *(हंसी)* मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी विधान-परिषद् कम-से-कम आर्यावर्त्त की विधान-परिषद् स्वयं दीनता और अस्तित्व-हीनता की अवस्था में न गिरेगी।

समाचार-पत्रों के अनुसार मिस्टर जिन्ना आजकल पाकिस्तान के पक्ष में मुस्लिम मत को प्रभावित करने के लिए कैरो में हैं। मैंने पहले मिस्टर जिन्ना को लिखा है और मैं एक बार फिर इस हाउस को स्मरण कराता हूं कि हम उनको (जिन्ना को) एक संदेश भेजें कि वे अपनी यात्रा को अन्य दसों पाकिस्तानों के भ्रमण के लिए और भी बढ़ा सकते हैं, जो हजारों बरसों से ईराक, ईरान, लीबिया और अन्य स्थलों में हैं और लागू किए गये हैं। उनको देखने और इन पाकिस्तानों की स्वयं कल्पना करने दीजिये और इसके पश्चात् वे अपने देश को वापिस लौटेंगे—एक दुखी पर अधिक समझदार व्यक्ति होकर पूर्णतया गर्व-हीन होकर—और यह विश्वास कर कि हमारे देशवासी भारत के मुसलमानों के हित के लिए पाकिस्तान लाभदायक नहीं है—यदि भारत को पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजित किया जाता है, तो कितने घंटों तक वह पाकिस्तान स्वतंत्र रहेगा और चारों ओर की शक्तियों का ग्रास नहीं बनेगा, जैसा कि समस्त मुस्लिम-संसार में पाकिस्तान के साथ हुआ है?

श्रीमान् जी, इतिहास का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं तुर्की का इतिहास पढ़ रहा था—मैंने देखा कि किस प्रकार कमाल पाशा अतातुर्क ने राजनीति को धर्म से मिलाने की अज्ञानता और निस्सारता का अनुभव किया। सबसे पहला कार्य जो उसने किया, वह पाकिस्तान का अंत करना और टर्की में प्रजातंत्र की स्थापना करना था और समस्त मुस्लिम देशों में ईरान से लेकर पेलेस्टाइन तक के राष्ट्रों के आकार-प्रकार में केवल टर्की ही सम्भवतया अकेला स्वतंत्र देश है। हमारे मित्र मुसलमानों को इस बात का अनुभव और स्मरण करने दीजिए, तब उन्हें पाकिस्तान को जिन्ना साहब का एक खतरनाक और आत्मघातक आंदोलन समझ कर इसे छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

[डॉ. सर हरीसिंह गौड़]

श्रीमान् जी, अब तक तो बहुसंख्यक जाति ही पाकिस्तान के इस आधार पर कि वे भारत की अखंडता के हामी हैं, दोष निकालती रहीं। हम किसी भावुक आधार पर भारत की अखंडता के हामी नहीं; हम भारत की अखंडता के हामी इसलिये हैं कि हमने बहुधा भारत के मुसलमानों की भलाई के लिए विशेष रूप के क्रियात्मक सुझाव पेश किये हैं। और मैं अपने मित्रों की ओर से एक बार फिर इन सुझावों को इस हाउस में पेश कराना चाहता हूं। संयुक्त जनमत होने दीजिए और मुसलमानों को अपनी सीटों की निर्धारित संख्या रखने दीजिये, लेकिन जनमत में यह आदेश रखिये कि एक जाति का कोई भी सदस्य चुना हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि वह दूसरी जाति की कुछ प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार हम जाति-चुनाव के स्थान में प्रादेशिक और प्रजातंत्रात्मक चुनाव प्रचलित करेंगे और जातिभेद और विषमता को कालान्तर में अदृश्य करना प्रारंभ करेंगे। यदि यह प्रस्ताव मुस्लिम-लीग को मान्य है, तो इसमें संदेह नहीं कि बहुसंख्यक जाति और कांग्रेस इस प्रस्ताव पर अनुकूल विचार करेगी, क्योंकि दोनों प्रजातंत्रात्मक हैं, साम्प्रदायिक नहीं और देश में प्रादेशिक चुनाव के सिद्धांत का प्रचलन फिर से होगा। मेरे मुसलमान मित्रों को रचनात्मक नीति रखनी चाहिए, भारत का विभाजन और पृथक् करने के लिए नहीं, वरन् भारत की भिन्न-भिन्न जाति, सम्प्रदाय और वर्ग में समानता का व्यवहार उत्पन्न करने के आशय से; जिससे कि अखंड स्वतंत्र भारत बनाया जा सके।

श्रीमान्, जी अमेरिका में अनेकों प्रकार और श्रेणी की 50 भिन्न-भिन्न जातियां हैं, पर जैसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध हुआ और विजय हुई, उन्होंने स्वतंत्रता का धर्म से सम्बन्ध स्थापित करना कभी नहीं सोचा और यही कारण है कि अमेरिका आज संसार की एक प्रभुत्वशालिनी जाति हो गई है और भारत—मैं आपको बता दूं—यदि अपनी आत्मरक्षा के लिए शक्तिशाली और अखंड रहता है, तो प्रभु तो नहीं वरन्, एशियाई प्रदेशों का प्रमुख सेवक बनेगा।

भारतीय जनता का एक और भाग—देशी रियासतें—अभी कोई निर्णय नहीं कर रही हैं, वे कहते हैं कि आप विधान-परिषद् को, जब तक हम न आयें, स्थगित रखिये। कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं निवेदन करता हूं कि देशी रियासतों की स्थिति बहुत सरल है और वह यह है कि वे कहती हैं कि उनकी क्राउन से संधियां हैं। मैं मानूंगा कि वे या अन्य सब-के-सब क्राउन से संधियां रखते हैं और ये संधियां सौ या डेढ़ सौ वर्ष पुरानी हैं। पर 150 वर्ष पूर्व इंग्लैंड का क्राउन क्या था? वह शासन करने वाली सरकार की, ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की ध्वनि थी, अतः जब वे क्राउन से हुई अपनी संधियों को उल्लेख करते हैं,

तो वे यही अभिप्राय रखते हैं कि उनकी संधियां इंग्लैंड की सरकार से हुई थीं, जो कि उस समय सत्ता धारण किये थीं। यह साधारण बात है, यदि मैं कहूं कि जब इंग्लैंड के क्राउन ने सौ या डेढ़ सौ वर्षों से पूर्व ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की सलाह को माना तो क्या इंग्लैंड का क्राउन आज भारतीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना त्रुटिपूर्ण समझेगा? क्या भारतीय राजा या नवाब यह शिकायत कर सकते हैं कि क्राउन को अपने सलाहकार चुनने का अधिकार अब नहीं है? इसलिए उनकी स्थिति व्यर्थ है। जब वे क्राउन से अपनी संधियों का उल्लेख करते हैं, तब वे कहते हैं कि क्राउन को सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, परन्तु वह भूल जाते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार को बड़े राज्य हिज एक्जाल्टेड हाइनेस हैदराबाद के निजाम से लेकर काठियावाड़ की सबसे छोटी रियासत तक के सब देशी राज्यों की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। और जिसको कि रक्षा के अधिकार प्राप्त हैं, वस्तुतः सर्व अधिकार प्राप्त करता है। ब्रिटिश भारत का रक्षा-विभाग विधान-परिषद् को दे दिया गया है, विधान-परिषद् देशी शासकों की रक्षा की उत्तरदायी है, अतः इतने से ही सर्व-अधिकार इंग्लैंड के राजा या इंग्लैंड की पार्लियामेंट से अन्तःकालीन सरकार को प्राप्त हो गये।

तीसरा विषय जिसकी ओर मैं देशी शासकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह मान लेने पर भी कि सार्वभौम सत्ता (इंग्लैंड के) राजा में नाम मात्र की ही है, हाउस ऑफ लार्ड्स की बहस में यह बताया गया था कि जब भारत में अधिकारों को हस्तान्तरित करने के पश्चात् वे सार्वभौम सत्तायें समाप्त हो जायेंगी और अन्त में या तो देशी रियासतें भारत की अन्तःकालीन सरकार से मैत्री करें और या उस स्वतंत्र भारत के आधीन और आश्रित होकर अकेली अलग रहें। इसलिए मैं अपने देशी रियासतों के मित्रों को सलाह देता हूं कि वे विधान-परिषद् से सम्मिलित होने के निमंत्रण पाने की व्यर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि वे सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। देशी रियासतों से संधियों के सम्बन्ध का विषय—यह फिर ऐसा प्रश्न है—जिस पर विधान-परिषद् को अन्तिम निर्णय करना होगा। मैं इसलिए विचार करता हूं कि पाकिस्तान और देशी रियासतों के प्रश्न से हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य में अग्रसर हों पर यह याद रखिये कि हम विधान-परिषद् को कांग्रेस के सर्वोच्च सत्ता (हाई कमांड) ने भी गलत समझा है कि मानो हम ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल की उपज हैं। यह ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन की उपज नहीं है। (वाह-वाह) इसकी सत्ता इस बात के आधार पर है कि देश की राजनैतिक जागृति इस सीमा तक उन्नत हो चुकी है कि ब्रिटिश सरकार को वैधानिक स्वतंत्रता या प्रतिरोधी स्वतंत्रता

[डॉ. सर हरीसिंह गौड़]

का सामना करना पड़ेगा। बल या प्रोत्साहन ही ब्रिटिश सरकार के लिए बचा है। पहले वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने अभी कुछ दिन हुए सरदार सभा (House of Lords) में बताया कि ब्रिटिश सरकार भारत पर उस समय तक अपना प्रभुत्व जमाये नहीं रह सकती, जब तक कि उसके पीछे ब्रिटिश सहायता का नैतिक अधिकार न हो। ग्रेट ब्रिटेन में इसके पक्ष में कोई नहीं है और निश्चित रूप से भारत से पक्ष प्राप्त करना समाप्त हो चुका। अतः यह राजनैतिक आवश्यकता का प्रश्न हो गया है और ब्रिटिश मंत्रिप्रतिनिधि मंडल और ब्रिटिश मजदूर दल ने अब भारत को स्वतंत्रता देने की ठान ली है। स्वतंत्रता मिलेगी—और जरूर मिलेगी। जब हम यहां भारत का भावी विधान बनाने के लिए बैठे हैं, तो हम इधर-उधर न देखें और इस ओर दृष्टिपात न करे कि मुस्लिम लीग क्या सोचेगी, या ब्रिटिश सरकार क्या विचारेगी और अपने संदेहों को संघ-शासन-सम्बन्धी न्यायालय (Federal Court) में भेजें।

फेडरल कोर्ट के सम्बन्ध के विषय पर हाउस के निश्चय की पूर्व कल्पना मैं नहीं करना चाहता, परन्तु मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस हाउस को इस बात का ध्यान न करते हुए कि विरोध का सामना करना है या आलोचना का, चाहे वे कहीं से भी आवें या उत्पन्न हों, अपना कार्य करने के लिए यथेष्ट रूपेण आत्म सम्मानित होना चाहिए। *(घोर करतल ध्वनि)*

***श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन** (मद्रास : जनरल): श्रीमान् जी, प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करने के पूर्व मुझे अपने क्रांतिकारी पिता महात्मा गांधी के प्रति विनम्र भक्ति-प्रसून अर्पण करने दीजिये। *(करतल-ध्वनि)* यह उनकी अन्तर्दृष्टि, उनके राजनैतिक आदर्शवाद और उनकी सामाजिक उत्कंठा है, जिसने हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के साधन उपलब्ध कराये। मैं निवेदन करती हूं कि विधान-परिषद् केवल विधान ही नहीं बनाती, वरन् जनता को जीवन का एक नया स्वरूप भी देती है। विधान बनाना सरल कार्य है, क्योंकि हमारे लिए अनुकरण करने को अनेकों नमूने हैं। परन्तु नवीन आधार पर जनता को नूतन बनाने के लिए कल्पना करने वाले (व्यक्ति) को संयोगात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र सर्वशक्ति-सम्पन्न भारत एक स्वतंत्र समाज की कल्पना करता है। हमारे प्राचीन शासन-विधान में निरंकुश शासन और जनतंत्र शासन में संघर्ष थे। प्रजातंत्रवाद की क्षीण ज्योति को सत्ता-लोलुप राज्य की शक्ति से बुझा दिया गया था। लिच्छवी जनतंत्र (The Lichavi Republic) हमारे पूर्वजों की जनतंत्रात्मक मेधा का सुन्दर प्रदर्शन था। उसमें प्रत्येक नागरिक राजा कहा जाता था। भारत के आने वाले प्रजातंत्र में अधिकार जनता से प्राप्त होंगे।.....

समझौता समिति (निगोशियेटिंग कमेटी) के उन सदस्यों की घोषणा से जो कि

नरेन्द्र मंडल के प्रतिनिधि हैं, हम शासकों का दृष्टिकोण इस विषय में समझ सकते हैं। परन्तु अपनी जनता के लिए ऐतिहासिक संदेश देने वाले महाराजा भी हैं मेरा अभिप्राय कोचीन के महाराज से है—जो कि भारत में एक अत्युन्नत रियासत है और मुझे यह कहने का गौरव है कि मैं उसी रियासत की हूं। यह सन्देश का भाग है:

> ''मैं केवल वैधानिक नियम में विश्वास करता हूं और अपने समस्त जीवन में मैंने (मानव) जीवन और संस्थाओं के प्रति, जो कि एकतंत्र और व्यक्ति शासन के विरुद्ध है, परिश्रम से एक दृढ़ भाव को ग्रहण कर लिया है।''

इस सन्देश से यह स्पष्ट है कि अधिकार जनता से प्राप्त होते हैं। भारतीय जनतंत्र में जाति और सम्प्रदाय-आश्रित कोई रुकावटें नहीं होंगी। भारतीय संघ के जनतंत्रात्मक राज्य में हरिजन सुरक्षित होंगे। मैं अनुमान करती हूं कि नीचे के वर्ग के लोग भारतीय जनतंत्र के शासक होंगे। मैं इसलिए विधान-परिषद् के हरिजन प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगी कि वे पृथक्वाद का राग न अलापें। पृथक्वाद के राग को अलापकर हम अपने आपको अपनी भावी संतानों के लिए हास्यास्पद न बनायें। साम्प्रदायिकता चाहे हरिजन, मुसलमान या सिख (किसी की हो) राष्ट्रीयता के विरुद्ध है। (वाह-वाह) जो कुछ हम चाहते हैं, वह सब प्रकार का संरक्षण नहीं है। वह नैतिक संरक्षण ही है, जो कि देश के नीचे वर्ग के लोगों को वास्तविक शरण देता है। मैं हरिजनों के भविष्य के लिए बिलकुल भयभीत नहीं हूं। वे संरक्षण जो हरिजनों की स्थिति में सुधार करते हैं, संरक्षण नहीं हैं।

कुछ दिन हुए हमने श्री चर्चिल का हरिजनों के विषय पर चिकना-चुपड़ा धारा-प्रवाहिक वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि भारत की परिगणित नामक जातियों के जीवन और कल्याण का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। ब्रिटिश सरकार ने हरिजनों की सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए क्या किया? क्या उन्होंने सिवाय चपरासी और खानसामा बनाने के कभी उनकी सामाजिक हीनताओं को दूर करने के लिए कोई विधान निर्माण किया? फिर भी श्री चर्चिल ने यह अभियोग लगाया कि हरिजन सवर्ण हिंदुओं की—अपने कष्टदायकों की—दया पर आश्रित थे। श्री चर्चिल इस देश के सात करोड़ हरिजनों को शरण लेने के लिए इंग्लैंड नहीं ले जा सकते हैं। वे केवल कुछ सम्प्रदायवादियों को शरण दे सकते हैं, जो कि इंग्लैंड जा सकें। श्री चर्चिल को समझाना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हरिजन भारतीय हैं और उनको भारत में भारतीयों के समान रहना है और वे भारत में भारतीयों के समान रहेंगे। हमने भी अभी सुना है कि परिगणित जातियां अल्पसंख्यकों में समझी गई हैं। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख 16 मई के राजपत्र (State Paper) में नहीं किया गया है। मैं सात करोड़ हरिजनों को

[श्रीमती दाक्षायणी वेलायुदन]

अल्पसंख्यक समझने के विचार को अस्वीकार करती हूं। न तो भारत के राजमंत्री लार्ड पैथिक लारेंस, न प्रधानमंत्री श्री एटली और न विरोधी दल के नेता श्री चर्चिल हरिजनों की दशा सुधारेंगे। जो कुछ हम चाहते हैं, वह हमारी सामाजिक अयोग्यताओं का उन्मूलन—शीघ्र ही उन्मूलन—करना है। केवल स्वतंत्र समाजवादी भारतीय जनतंत्र ही हरिजनों को स्वतंत्रता और स्थिति की समानता प्रदान कर सकता है। हमारी स्वतंत्रता केवल भारतीयों से प्राप्त हो सकती है न कि ब्रिटिश सरकार से।

मुझे डॉक्टर अम्बेडकर से इस देश की राष्ट्रीय सेना में सम्मिलित होने की अपील करने दीजिये। हरिजन जाति के केवल वही नेता हैं और उनका राष्ट्रीय दल से असहयोग हरिजनों के लिए एक बड़ी दुर्घटना है, उनका राष्ट्रीय दल से सहयोग हरिजनों के लिए मोक्षदायक होगा। श्रीमान् जी *(डॉक्टर अम्बेडकर की ओर आदेश करते हुए)* यह आपके लिए देश के समक्ष अपनी सेवाएं अर्पण करने का एक अनमोल अवसर है।

हरिजन केवल समाजवादी जनतंत्र भारत में स्वतंत्र होंगे, आओ हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करें और इसे पूर्ण करने का कार्य करें; चाहे यह हमसे बड़े-से-बड़े त्याग की मांग करे।

माननीय डॉक्टर जयकर द्वारा रखे गऐ संशोधन के सम्बन्ध में मैं सोचती हूं कि जो इस संशोधन का समर्थन करते हैं, उनको व्हाइट हाल से प्रेरणा मिलती है न कि इस देश की जनता से। हाल में विभिन्न क्षेत्रों से विधान-परिषद् के स्थगित करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना। लार्ड वेवल ने इसका पक्ष-समर्थन किया, श्री जिन्ना ने इस पर जिद की। मुझे प्रतीत होता है कि डॉक्टर जयकर इस संशोधन को रखकर विधान-परिषद् की वास्तविकता पर प्रश्न कर रहे हैं और लोक सभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) में कुछ दिन हुए श्री चर्चिल द्वारा उपस्थित किए गए तर्क की पुष्टि कर रहे हैं।

डॉक्टर जयकर ने भी रियासत की जनता के लिए पवित्र सहानुभूति प्रकट की है। यदि रियासत शब्द से माननीय सदस्य का अभिप्राय रियासत के वास्तविक प्रतिनिधियों से है, तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकती हूं कि रियासतों की जनता कांग्रेस और विधान-परिषद् के साथ है। *(करतल ध्वनि)* और विधान-परिषद् द्वारा किया हुआ कोई भी निश्चय रियासतों की जनता को मान्य होगा।

मैं सोचती हूं कि मुझे कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा प्रकट किये विचारों का भी उल्लेख करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेषित ऐतिहासिक प्रस्ताव में इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है और

अब वह दल जो कि विगत युद्ध को जन-युद्ध कहता था, कुछ समय के लिए विधान-परिषद् को इस प्रस्ताव पर विचार करने को स्थगित करने की शिक्षा देने यहां आया है। यदि मैं त्रुटि करती हूं, तो मुझे क्षमा किया जाये। इस प्रकार के कहे जाने वाले कम्युनिस्ट हरिजनों को लाभ पहुंचाने के अतिरिक्त उनका शोषण ही कर रहे हैं। वे हरिजनों के लिए पृथ्वी के टुकड़ों की प्रतिज्ञा करते हैं और इस प्रकार वे उन्हें (हरिजनों को) राष्ट्रीय सेना से दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं। मेरे विचार से कम्युनिस्ट दल किसी बाह्य स्थान से प्रेरणा प्राप्त कर रहा है और इसलिए यह हमारे लिए उचित नहीं है कि कम्युनिस्टों के विचारों को स्वीकार करें। हम अपनी उन्नति के लिए ऐसे दल पर निर्भर नहीं रह सकते हैं और हमारी उन्नति राष्ट्रीय सेना में है, जिसके प्रतिनिधि परिषद् में हैं। इसलिए मैं आशा करती हूं कि भावी स्वतंत्र भारत में हरिजनों को देश के प्रत्येक नागरिक के समान सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा।

***सभापतिः** एक बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। परिषद् परसों ग्यारह बजे तक के लिए अब स्थगित की जाती है।

परिषद् शनिवार, 21 दिसम्बर सन् 1946 ई. के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।